नागर समाज के नजरिये से एक समीक्षा

मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एवं बिहार

संदर्भ : आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक भेद-भाव

विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान, पटना
संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम कैम्पेन/यू०एन०डी०पी०
वादा ना तोड़ो अभियान, बिहार

प्रस्तावना

भूख मुक्त बिहार के लिए पहल के तहत राज्य में भिन्न–भिन्न बैनर तले चल रहे अनेक अभियानों से संबद्ध लगभग 400 स्वैच्छिक संगठन आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग विभेद सामाजिक भेद–भाव, दलित एवं अन्य सामाजिक मुद्धों को केन्द्रित कर कार्यरत हैं। पिछले दो वर्षो में एक ओर ऐसे सभी अभियानों से जुड़े लोगों ने एकजुटता व समन्वय बनाकर संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रावदी घोषणा, राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में गरीबी और भूख समाप्त करने के लिए किए गए वादों के प्रति दायित्वों को स्मारित कराने के लिए सरकार एवं सरकारी एजेन्सियों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है वहीं दूसरी ओर कृषि में विकास, खाद्य/सामाजिक सुरक्षा/रोजगार का अधिकार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पानी तक पहुंच सहित पर्यावरणीय क्षति को समाप्त करने के लिए समुदाय उन्मूखीकरण हेतु केन्द्रित हुए है। इस प्रक्रिया को मजबूती देने में वादा ना तोड़ो अभियान एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने का प्रयास किया है। ताकि सरकार को उनकी घोषणाओं एवं वादों को पूरा करने के लिए जवाबदेह बनाया जा सके।

यह रिपोर्ट आजीविका, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अधिकार, मुसलामानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बाढ़ की समस्या के निदान के प्रति सरकारी नजरिया एवं बाल मजदूरी की समस्याओं व निदान के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है जिसमें इन मुद्दों से संदर्भित वर्तमान परिस्थितियों का सहज एवं सरल शब्दों में समीक्षा व मूल्यांकन कर राज्य की सही तस्वीर विषय विशेषज्ञों ने प्रस्तुत किया है। प्रमोद कुमार सिंह (विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान) ने भूख मुक्त बिहार की प्रमुख चुनौतियों को चिन्हित कर सामाजिक संवेदना का एहसास कराया है, वहीं अनिन्दो वैनर्जी (प्रैक्सिस) ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपलब्धियों की समीक्षा कर यह दर्शाया है कि रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के नजरियों से नियमित सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया लाभदायक साबित होगी। डा० विनय कंठ (इस्ट एण्ड वेस्ट) एवं सुनील कुमार सिन्हा ने सहस्त्रावदी विकास लक्ष्य एवं शिक्षा के संदर्भ में बिहार के सच का चित्रण किया है। अजय कुमार सिंह (बचपन बचाओं आंदोलन) ने बाल मजदूरी के खात्मा के लिए जरूरी विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालने के साथ ही कानूनी विसंगतियों पर भी टिप्पणी की है। डा० शकील एवं अनील कुमार श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य की बुनियादी सरंचनाओं में व्यापक सुधार किए जाने की जरूरत महसूस की है एवं वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा 8000 अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति संबंधी किए गए वादों को पुरा करने के लिए स्मारित किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लम्बे समय तक प्रशासकीय अनुभव रखने वाले डा० रतन ने एक ओर स्वास्थ्य क्षेत्र में वनज `वनतबपदह के प्रावधान को खत्म करने की वकालत की है तो दूसरी ओर ठेकादारी प्रथा को हतोत्साहित करने पर बल दिया है। डा० शकील अहमद खान ने मुसलमानों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति का पारदर्शिता के साथ समीक्षा की है। देश की चर्चित पर्यावरणविद् डा० दिनेश कुमार मिश्र ने बागमती तटबंध का उदाहरण देकर बाढ़ की विभीषिका के कारणों एवं निदान के प्रति सरकारी एवं नागर समाज का नजरिया प्रस्तुत किया है।

यह रिपोर्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की मध्यावधि को ध्यान में रखकर 07 जुलाई 07 को प्रकाशित की जा रही है जो सरकार के समक्ष नागर समाज की ओर से एक मांग पत्र के रूप में प्रस्तुत है।

प्रमोद कुमार सिंह
निदेशक
(विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान)
ए/22, आर०डी०टॉवर, पटना– 800023

❖ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एवं बिहार

नागर समाज के नजरिये से एक समीक्षा (07जुलाई,07)

संदर्भ :– आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक भेद–भाव

❖ **प्रकाशक :–**

विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान
ए/22, आर०डी०टॉवर, पटना– 800023
दुरभाष :– 0612–2281197, 09431419356
ईमेल:– `उंरपात्रेनतौं/लीववण्बवउ
`छज|एठपींतढचंजत्रूदजं/कंजंवदमण्पदझ

❖ **संकलन सहयोग :– प्रहलाद कुमार**

❖ **लेजर कम्पोजर :– संजय पासवान**

❖ मुद्रक :– सुमित प्रिंटर्स
तारकेश्वरी मार्केट, नया टोला, पटना
दूरभाष :– 9334140543

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन

क्र०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भूख मुक्त बिहार की चुनौतियां	3–7
2.	Economic Status of Muslims in Bihar	8–10
3.	शिक्षा सब के लिए	11–13
4.	बिहार में गरीबों की आजीविकाए	14–16
5.	सहस्त्रावदी विकास लक्ष्य एवं शिक्षा	17–19
6.	बिहार में जन–स्वास्थ्य की स्थिति	20–23
7.	बाल मजदूरी, गरीबी और भूख	24–25
8-	Revival of Embankments on The Bagmati	26–28
9-	Biha’s Health Infrastructure and Disease Profile	29–30
10.	बिहार में दलितो की स्थिति	31–32

भूख मुक्त बिहार की चुनौतियां

बिहार में 42 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करती है ऐसी आबादी को वर्ष भर दोनो शाम भोजन की गारंटी नहीं होती और बहुतायत कुपोषण के शिकार हैं। ऐसी आबादी के पास खाद्यान्न उत्पादन के लिए जमीन नहीं होती और न ही वे कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन रोजगार एवं अन्य पेशे की आमदनी से वर्ष भर दोनों शाम नियमित रूप से भोजन हेतु अनाज खरीदने की अपनी क्षमता विकसित कर पाते हैं। स्पष्ट है कि भूमिहीन एवं गरीब लोगों की रोजगार की कमी के कारण खाद्यान्न तक उनकी नियमित पहुंच नहीं बन पाती। गरीबों के लिए लाल कार्ड एवं अन्त्योदय योजना से सस्ते दर पर प्रत्येक माह अनाज पहुंचाने के प्रति सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही क्योंकि इसकी विफलता की जिम्मेवारी व जवाबदेही संबंधित कार्य के लिए वेतन ले रहे कर्मचारी या अधिकारी पर कभी नहीं निर्धारित की गई। बेसहारा व लाचार वृद्धों के लिए अन्नपूर्णा योजना एवं काम के लिए रोजगार आदि योजनाओं को ठीक ढ़ंग से लागू करने में सरकार अब तक विफल रही हैं। नतीजतन भूख के साथ वे संघर्ष करते हुए जीने की ललक संजोए रखते हैं और पहले कुपोषण का शिकार बनकर रोगी बनते हैं। बाद में मौत को गले लगा लेते हैं। सरकार भूख से मौत की घटनाओं को बीमारी से मौत बताकर झुठला देती है । सरकार भूख, कुपोषण, बीमारी एवं मृत्यु के अंर्तसबंधों को नकारती रहती है। मधेपुरा जिला अंतर्गत घैलाड़ प्रखंड के बेलोखरी गांव में मुसहर परिवारों में 5 व्यक्तियों की मृत्यु उस समय हो गई थी, जब डायरिया से निजात पा लेने के बाद भी पथ्य खाने के लिए उनके घरों में अनाज के दाने नहीं थे। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर जिले की विधवा अनीमा देवी की मौत लगातार 13 माह तक अन्नपूर्णा योजना का अनाज नहीं मिलने के कारण हो गई। भूख से मौत की दर्जनों घटनाएं उजागर हो चुकी हैं। यही कारण है कि बिहार में भूख एक गंभीर मुद्दा बन गया हैं।

गरीबी एवं भुखमरी आज दुनिया की प्रमुख समस्या है और इसे दूर करने के लिए वर्तमान पीढ़ी को अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी। बिहार में 5 वर्ष तक के बच्चों में 54 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। प्रति हजार 105 महिलाएं मातृत्व के दौरान मौत को गले लगाती हैं। राज्य में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अत्यंत ही निराशाजनक हैं। देश की स्थिति को बदलना है तो बिहार को खुशहाल बनाना होगा किंतु वर्तमान रफतार से मिलेनियम विकास लक्ष्य के निर्धारित 8 मानकों को 2015 तक पूरा करना असंभव दिखता हैं। चुनाव लड़ने के क्रम में अपने दलीय वादों को यदि सरकार पूरी करे तो बच्चों को भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी। सूबे में बढ़ते कृत्रिम बाढ़ के क्षेत्र एवं पारम्परिक जलस्त्रोतों के क्षरण गरीबी का बिहार में केन्द्रक बन गए हैं। तटबंध बनने से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दायरा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन आज राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी बन गई हैं।

भूख की स्थिति से निपटने हेतु अनुदानित एवं निःशुल्क अनाज के वितरण की योजनाओं का ठीक से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है क्योंकि वर्ष 2004–05 में वी.पी.एल. परिवारों के लिए राज्य में गेहुं का उठाव 66.67 प्रतिशत एवं चावल का उठाव 14.90 प्रतिशत हुआ जबकि वर्ष 2006–07 में गेहुं एवं चावल का उठाव क्रमशः 34 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत हुआ। इसी प्रकार अत्यंत ही गरीब परिवारों के लिए लागू अन्त्योदय योजना में वर्ष 2004–05 में गेहुं एवं चावल का उठाव क्रमशः 94.07 प्रतिशत एवं 92.33 प्रतिशत रहा है जबकि विगत वर्ष 2006–07 में इस योजना में गेहुं एवं चावल का उठाव मात्र 85 प्रतिशत एवं 77 प्रतिशत हुआ। यही नहीं, लाचार वृद्धों के लिए चर रही अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क अनाज के उठाव के मामले में वर्ष 2004–05 में गेहुं एवं चावल का उठाव क्रमशः 92.13 प्रतिशत एवं 87.69 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006–07 में गेहुं एवं चावल का उठाव मात्र 80 प्रतिशत रहा । अप्रील–मई, 07 में 12 जिलों में बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय कार्डधारियों के लिए अनाज का उठाव शून्य रहा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2001 से किए जा रहे लगातार मूल्यांकन के तहत सूचीवद्ध इन तीनों योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति अधिकारियों का रवैया इतना अधिक नकारात्मक है तो अन्य कल्याणकारी योजनाओं का हश्र का आकलन आसानी से किया जा सकता है। इस विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों को क्यों नहीं जवाबदेह बनाया गया यह चिंतनीय पहलू है। आखिर सुशासन के लिए चर्चित वर्तमान सरकार के गंभीर एवं निर्णयकारी नेतृत्व का असर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर क्यों नहीं हुआ? इसका मूल्यांकन अत्यावश्यक है। वहीं दूसरी ओर वृद्धों, गर्भवती महिलाओं, विधवाओं, विकलांगों, विभुक्त बंधुआ मजदूरों एवं अत्याचार की शिकार दलितों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलने या विलम्ब से मिलने से ही भूख की स्थिति पैदा होती है।

देश में बफर स्टॉक में 40–60 करोड़ क्विंटल अनाज भरा रहता है और किसी भी संकट के लिए मात्र 15 करोड़ अनाज का सुरक्षित भंडार प्रर्याप्त हैं। यदि सभी गरीबों को दोनों शाम खाना दिया जाए तो वर्ष में मात्र 9 करोड़ क्विंटल अनाज की जरूरत होगी। बावजूद भूख से मौत की घटनाएं होती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने लक्षित जन–वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों, किशोरियों, गर्भवती/प्रसूति महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किया है किंतु बिहार में उक्त आदेश का अनुपालन आज भी नहीं हो रहा है । बिहार में 1982–83 में 23.53 लाख वृद्ध, विधवा एवं विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता था। राज्य विभाजन के समय यह संख्या 5 लाख हो गई और अब 1982–83 की तुलना में मात्र 20 प्रतिशत रह गई हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में केन्द्र सरकार ने प्रति लाभार्थी प्रति माह 75 रूपये से बढ़ाकर अप्रैल,06 से 200 रूपये कर दिया तथा राज्य सरकार से भी 200 रूपये प्रतिमाह जोड़कर भुगतान करने का आग्रह किया किंतु राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे 25 रूपये प्रति माह प्रति लाभार्थी को भी बंद कर दिया गया।

भूख से मौत पर नियंत्रण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब गोदामों में क्षमता से अधिक खाद्यान्न भरे हैं और चूहे खा रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार न हो, इसकी गारंटी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। उक्त आदेश के अनुपालन में तत्कालीन साहाय्य आयुक्त, बिहार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भूख से नहीं मरे, अन्यथा इसकी जिम्मेवारी मुखिया की होगी। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चयनित दुकान पर सरकार खाद्यान्न उपलब्ध रखेगी। यदि खाद्यान्न रहते हुए किसी की मृत्यु हुई तो संबंधित पंचायत के मुखिया को कर्त्तव्यहीनता के कारण हटाने पर सरकार विचार करेगी। आश्चर्य यह कि आज तक किसी भी डीलर के पास अतिरिक्त अनाज नहीं पहुंचा। हाल में किए गए एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 13 जिले खाद्य सुरक्षा की स्थिति प्राप्त कर चुके है। हांलाकि दो माह पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में इंस्टिच्यूट ऑफ हयूमन डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट पर लेखक सहित अन्य अर्थशास्त्रियों ने आकंलन के मानक की पृच्छा करते हुए स्पष्ट रूप से असहमति जाहिर की। अधिकांश लोगों का मानना था कि बिहार का कोई भी जिला खाद्य सुरक्षा के मामले में न तो अंतराष्ट्रीय मानक के अनुसार अपनी अर्हता पूरी करता है और न ही परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा की स्थिति प्राप्त कर चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम में वर्ष 2006–07 में 17.08 लाख परिवारों ने जॉब कार्ड के आधार पर काम की मांग की। यदि काम मांगने वाले परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी करने एवं सामाग्री खर्च का आकंलन करे तो 2050 करोड़ रूपये की राशि की जरूरत थी। किंतु उपलब्ध राशि मात्र 1191 करोड़ की राशि ही प्राप्त रही है । आश्चर्य है कि काम मांगने वाले परिवारों के लिए आवश्यक धन राशि 2050 करोड़ की तुलना में मात्र 712.76 करोड़ रूपये ही व्यय किये गये है जो दर्शाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति सरकार स्वयं को जवाबदेह नहीं बना सकी। यदि जॉब कार्ड प्राप्त परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी का आधार बनाकर संभावित खर्च की राशि का आंकलन किया जाए तो खर्च की गई राशि संबंधी उपलब्धि का प्रतिशत और घटेगा। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल एवं मई, 07 में इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी आकड़े और भी निराशाजनक दर्शाते है।

बिहार में गरीब परिवारों में भूख की स्थिति पैदा करने के लिए कई कारक जिम्मेवार हैं, यथा–राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 73 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ एवं जल जमाव से प्रभावित है। राज्य के 22 जिले बाढ़ की विभीषिका से प्रत्येक वर्ष कुप्रभावित होते है। ऐसे क्षेत्रों से खाद्य असुरक्षा की स्थिति में किसान एवं मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन होता है। अधिकारी इसे मनिऑर्डर इकोनोमी कहते नहीं अघाते । अधिकांश हिस्सों में कृषि वर्षा आधारित है । खराब गुणवत्ता के बीज एवं खाद क बिक्री धड़ल्ले से जारी है। राज्य ने खाद्यान्न बीजों की आत्मनिर्भरता खो दी है। पिछले वर्ष राज्य में 2 लाख क्विंटल धान के बीज की जरूरत की तुलना में मात्र 40 हजार क्विंटल (20 प्रतिशत) बीज की उपलब्धता रही। इसी प्रकार गेहुं की फसल के लिए 3 लाख क्विंटल बीज की जरूरत की तुलना में मात्र 30 हजार क्विंटल (10 प्रतिशत) बीज की उपलब्धता रही। मक्का के बीज 20500 क्विंटल की जरूरत की तुलना में मात्र 100 क्विंटल बीज उपलब्ध रहे। इसी प्रकार चना के 11600 क्विंटल बीज की जरूरत की तुलना में मात्र 100 क्विंटल बीज उपलब्ध रहे। ये आकड़े

दर्शाते है कि बिहार ने बीज के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भरता खो दी है। कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थानों को

बीज उत्पादन के लिए दी जा रही धनराशि की तुलना में न तो बीजों से आय होती है और न ही इन संस्थानों द्वारा उत्पादित शत–प्रतिशत बीज किसानों तक पहुंच पाते है। वर्ष 2005–06 में कृषि विश्वविद्यालय को 93.25 लाख रूपये बीज उत्पादन के लिए मुहैया कराये गए थे। किंतु उत्पादित बीजों से आय का लेखा–जोखा उत्साहवर्धक नहीं है । शोध के तहत उत्पादित बीजों को गैर बीज अर्थात खाद्यान्न के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और ऐसी घातक प्रक्रिया पर अविलम्ब रोक नहीं लगाया गया तो घातक परिणाम होगें। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय 4367 रूपये है जबकि राष्ट्रीय औसत 16487 रूपये है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र (93.60) लाख हैक्टेयर में मात्र 56.38 लाख हैक्टेयर भूमि शुद्ध बुआई वाले क्षेत्र हैं और मात्र 23.88 लाख हैक्टयेर भूमि पर ही एक से अधिक बार बुआई होती है । 35.20 लाख हेक्टयेर भूमि सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत है।

वर्ष 2001–02 में राज्य में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 120.59 लाख टन था जबकि 2004–05 में घटकर 79.70 लाख टन हो गया। देश की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि वाला यह राज्य आखिरकार राष्ट्रीय उत्पादकता को क्यों नहीं छू पाता ? इस तथ्य पर विचार करने की जरूरत है। वर्ष 2000–05 में राष्ट्रीय उत्पादकता (16.38 क्विंटल/हैक्टयेर) की तुलना में राज्य की खाद्यान्न उत्पादकता प्रति हेक्टेयर मात्र 12.12 क्विंटल रही है । फलों के मामले में भी 2001–02 की तुलना में सिर्फ केला को छोड़कर सभी फलों का कुल उत्पादन एवं उत्पादकता में भारी कमी आई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पाता । भारतीय खाद्य निगम ने देश में 2004–05 में 167.95 लाख टन गेहुँ की खरीद की किंतु बिहार में मात्र 0.1 प्रतिशत खरीदगी हुई। पंजाब और हरियाणा को मिलाकर (143.55 लाख टन) 80.5 प्रतिशत की खरीदगी हुई। वर्ष 2006–07 में एफ.सी.आई. द्वारा की गयी गेहुँ की खरीदगी में 99.50 प्रतिशत खरीदगी पंजाब एवं हरियाणा में हुई और शेष 0.5 प्रतिशत उत्तरप्रदेश से हुई है। देश में एफ.सी.आई ने 2003–04 में 228.28 लाख टन चावल की खरीद की किंतु बिहार में मात्र 3.63 लाख टन (1.6 प्रतिशत) की खरीद हुई। 2004–05 में कुल खरीदगी 246.83 लाख टन में से बिहार में मात्र 3.43 लाख टन (1.4 प्रतिशत) चावल की खरीदगी हुई । 2005–06 में बिहार में चावल की खरीदगी मात्र 1.9 प्रतिशत रही है। देश में 1997–98 में खाद्य (खाद्यान्न) सब्सिडी पर 7500 करोड़ रूपये खर्च हुआ था जो 2006–07 में बढ़कर लगभग 24200 करोड़ पर पहुंच गया है । खाद्य सब्सिडी पर हो रहे खर्च का फायदा न तो बिहार के किसानों को मिलता है और न ही इसका फायदा डीलरों एवं अधिकारियों द्वारा अनाज के गवन हेतु जारी गठजोड़ के कारण गरीब राशकार्डधारियों को मिल पाता है। खाद्यान्नों के निर्यात में बिहार की भागीदारी नगण्य है।

खाद्यान्न के सब्सिडी पर बढ़ते खर्च पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। चावल के वितरण पर 376 रूपये प्रति क्विंटल एवं गेहुँ के वितरण पर 421 रूपये प्रति क्विंटल खर्च हो रहे हैं। कार्डधारी तक अनाज पहुंचाने में सरकार चावल पर 1395 रूपये प्रति क्विंटल एवं गेहुं पर 1070 रूपये प्रति क्विंटल खर्च करती है। यदि किसान से ग्राम सभा या पंचायत सीधे गेहुं एवं चावल की खरीद करे तो सरकार पर किसानों को बिना अतिरिक्त बोझ दिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का ज्यादा लाभ मिल सकता है। स्वयंसेवी संगठन या स्वयं सहायता समूह या ग्राम विकास समिति को डीलर के रूप में जिम्मेवारी देकर बैंक से कर्ज लेने का प्रावधान कर दिया जाए तो राशन कार्डधारियों को अच्छी गुणवत्ता के अनाज मिल सकते हैं और ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सकेगा। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि ऋण पर ब्याज दर अप्रैल, 06 से 7 प्रतिशत कर दिया गया। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 2005–06 में 1 लाख रूपये तक ऋण ले चुके किसानों के खाते में 2 प्रतिशत धन राशि जमा करना था किंतु किसानों को लाभ मिला या नहीं, इसकी समीक्षा नहीं की जा रही है। देश में केन्द्र सरकार की प्रयोगशालाएं सहित खाद की गुणवत्ता की जांच के लिए 67 प्रयोगशालाएं हैं किंतु बिहार में एक भी नहीं हैं। 1.22 लाख नमूनों की विश्लेषण जांच क्षमता के अनुसार जांच हेतु विगत 5 वर्षो में कभी भी नमूने नहीं आए। इसके लिए क्या जिला कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार नहीं हैं। जिला स्तर पर बीज एवं मिट्टी की जांच के लिए सभी जिलों में कार्यरत प्रयोगशाला नहीं है।

बिहार में राजस्व वसूली से हो रही आय का 62 प्रतिशत राशि कर्ज के सूद चुकता करने में खर्च होती है। गरीब परिवारों में भूमिहीनता खत्म करने के लिए भूमि सुधार के प्रति सरकार को पहल करनी होगी। बाढ़ से सुरक्षा के लिए अबतक बनाए गए 3400 किलोमीटर बांध व तटबंध के कारण बिहार में कृत्रिम बाढ़ की विनाशलीला जारी है और फसल, पशुधन एवं मानवीय क्षति में कमी आने के बजाए बढ़ोत्तरी हुई हैं। जल निकासी के इंतजाम का आकलन किए बिना

सड़क, रेलमार्ग एवं बांध निर्माण जैसे विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण जल जमाव के क्षेत्र में भारी बढ़ोत्तरी हुई है जिसके कारण खेती की उपजाऊ जमीन चौर में बदलती जा रही हैं। बाढ़ से वर्ष 2004 में 522 करोड़ रूपये की फसल नष्ट हुई किंतु केन्द्र द्वारा राहत के लिए मिलते हैं मात्र 132 करोड़ रूपये जबकि महाराष्ट्र में छोटे क्षेत्र में बाढ़ आने पर केन्द्र ने दिए 500 करोड़ रूपये। बाढ़ जैसी आपदा के कारण बड़े पैमाने पर पशुधन की क्षति होती है। वर्ष 2003 में किए गए पशु सर्वेक्षण के आकड़े दर्शाते है कि गाय एवं भैंस प्रजाति के पशुओं की संख्या अब मात्र 1.6 करोड़ रह गई है जो पूर्व की तुलना में काफी कम और चिन्तनीय स्थिति पैदा करती है। बाढ़ के दौरान मानवीय क्षति होने पर संबंधित परिवार को 50 हजार रूपये अनुदान का प्रावधान तो है किंतु भूमिहीन गरीबों के लिए आजीविका का साधन पशुधन की क्षति होने पर किसी प्रकार की राहत व अनुदान का प्रावधान न होना सरकार की अदूरदर्शिता ही कही जाएगी। नतीजन मजदूरों के साथ छोटे एवं सीमांत किसानों का पलायन जारी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पारम्परिक जल स्त्रोतों यथा– तालाब, पइन एवं आहर की मरम्मति व जीर्णोद्धार सहित नवनिर्माण की अनिवार्यता को प्राथमिकता व तबज्जो देना निहायत जरूरी है । किंतु ग्राम सभा की निष्क्रियता के कारण गैर–उत्पादक योजनाओं के चयन कराने में राशि का बंदरबाट करने वाले लोग सक्रिय हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी तालाब निर्माण को बढ़ावा देने की अनिवार्यता एवं तटबंध निर्माण पर रोक लगाने संबंधी समुदाय की समझ से सरकार सहमत नहीं होती जिसके कारण समुदाय एवं सरकार में तथ्यात्मक टकराव की स्थिति बनी है।
भूख की तड़पन से बचाने एवं सभी को भर पेट दोनों शाम भोजन की गारंटी दिलाने के लिए सरकार ने गरीबों के हित में सस्ते दर पर अनाज संबंधी अनेक खाद्य सुरक्षा की योजनाएं एवं पेंशन व राहत की योजनाएं लागू की हैं यथा–गरीब परिवारों के लिए लाल कार्ड, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम दरअसल राज्य सरकार केन्द्र द्वारा प्रदत्त अनाज के कोटा का उपयोग नहीं करने के कारण प्रति वर्ष अनाज मूल्य सहित लगभग 1000 करोड़ रूपये का नुकसान उठा रही है। नवीं पंचवर्षीय योजना में भी ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र द्वारा आबंटित राशि का उपयोग नहीं करने के कारण बिहार को 1048.64 करोड़ रूपये का नुकसान उठाना पड़ा था।
अपनी आय से आजीविका चलाने में अक्षम साबित हो चुके अकेला रहने वाले बेसहारा वृद्ध, विधुर एवं विधवाओं को अन्नपूर्णा कार्ड से प्रतिमाह नियमित रूप से निःशुल्क 10 किलो अनाज का नहीं मिलना उनकी मौत की विवशता पैदा करना ही तो है । यह स्थिति आबादी नियंत्रण का एक हथकंडा साबित करती है। अतः सरकार भुखमरी का जीवन जीने के लिए विवश लोगों की नजर से राज्य की मुक्कमल तस्वीर समझने का प्रयत्न करे।

विदित हो कि गरीबों को सस्ते दर पर एवं निःशुल्क अनाज प्रत्येक माह उपलब्ध कराने के नाम पर केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष 24 हजार करोड़ रूपये व्यय कर रही है। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी वाले प्रत्येक परिवार में प्रत्येक वर्ष इस राशि को वितरित करने पर लगभग 5500 रूपये प्रति वर्ष आएगी। जबकि लाल कार्डधारियों को तो प्रति वर्ष 200 रूपये की सब्सिडी का भी लाभ नहीं मिलता और अन्त्योदय कार्डधारियों को औसत 500 रूपये प्रति वर्ष से अधिक की सब्सिडी नहीं मिल पाती। गांव स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए समूह गठित कर प्रति परिवार मात्र 2500 रूपये की दर से यदि चक्रीय निधि उपलब्ध कराकर अन्न भंडार स्थापित किये जाए एवं ऐसी योजना गरीबों के समूह द्वारा ही संचालित करने के लिए प्रेरित किया जाए तो मात्र तीन वर्षो में प्रत्येक गांव में अनाज का ऐसा भंडार स्थापित हो जाएगा जो रोजगार के अभाव के दिनों में गरीबों के बीच लेन–देन के आधार पर खाद्य सुरक्षा की गारंटी देगा। इस प्रक्रिया से कई फायदे भी होगें। यह प्रक्रिया लघु एवं सीमांत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रेरित करेगी और ऐसे किसानों को बाजार दर की तुलना में लगभग 100–200 रूपये प्रति क्विंटल का लाभ भी मिलेगा। इससे कृषि मजदूर एवं किसानों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित होंगे तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर कृषि क्षेत्र में सीधे पूंजी निवेश के कारण खाद्यान्न उत्पादन में भी निश्चित रूप से तेजी से बढ़ोत्तरी होगी।

बिहार में अनुदानित खाद्यान्न से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरे वर्ष में लगभग तीस लाख मिट्रीक टन अनाज एफ0सी0आई0 को बिहार में खरीदना है किंतु अधिकतम 5 लाख मिट्रीक टन की खरीदगी करती है। यदि भंडारण क्षमता बढ़ाकर एफ0सी0आई0 बिहार में ही खाद्यान्न की खरीद करे तो न केवल अधिक किसानों को न्यूनतम

समर्थन मूल्य का लाभ मिल सकेगा बल्कि कृषि क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष तीन हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त पूंजी निवेश भी स्वतः हो जाएगा।

स्पष्ट है कि भुखमरी का कारण अनाज की कमी नहीं बल्कि नीतियों के कार्यान्वयन की विफलता है जो भूखे तक अनाज पहुंचने नहीं देती। भूखे तक नियमित रूप से अनाज पहुंचाने के लिए दो ही उपाय हैं – प्रत्येक न्यूक्लियस परिवार को 100 दिनों की रोजगार गारंटी देकर अनाज खरीदने योग्य उनकी क्रयशक्ति बढ़ायी जाए। राशन कार्ड या एक चूल्हा पर खाना बनने के आधार पर संयुक्त परिवार को एक जॉब कार्ड दिए जाने की प्रक्रिया से संयुक्त परिवार में बड़े पैमाने पर टूटन होगी। सभी बी0पी0एल0 परिवारों को अन्त्योदय कार्ड दिये जाएं तथा डीलर के माध्यम से प्रत्येक माह नियमित रूप से अनाज वितरण की गारंटी हो। अनाज वितरण के बजाय अनाज के उठाव को उपलब्धि का मानक बनाया जाना घातक साबित हुआ है। बच्चों में कुपोषण का कारण बच्चों को सही वक्त पर सही मात्रा में पर्याप्त भोजन नहीं मिलना भी एक प्रमुख कारक है।

राज्य में कार्यरत कृषि विश्व विद्यालय एवं कृषि संस्थानों द्वारा बीज उत्पादन पर किये जा रहे खर्च एवं उत्पादित बीजों से प्राप्त आय का सामाजिक अंकेक्षण भी जरूरी है ताकि बीजों को गैर–बीज के रूप में यानि खाद्यान्न के रूप में हो रहे इस्तेमाल पर अंकुश लग सके । केन्द्र सरकार खाद्यान्न आधारित योजनाओं से जुड़े मंत्रालयों में समन्वय स्थापित होना जरूरी है। राज्य सरकार डीलर के स्तर पर प्रत्येक माह अनाज का आबंटन, उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करे। वित्तीय संस्थानों के कर्ज की राशि को गैर उत्पादक कार्यो में खर्च करने पर अंकुश लगाए। गरीबों की विकास प्रक्रिया तक पहुंच बनानी होगी। दलित एवं गरीब परिवारों में जमीन का स्वामित्व स्थानान्तरण के लिए भूमि सुधार पर पहल करनी होगी। प्रत्येक पंचायत में एक बीज ग्राम की स्थापना को अनिवार्य बनाया जाए एवं उन्नत बीज उत्पादन तकनीक तक किसानों की पहुंच बनाने के लिए पहल हो। नकली बीज, खाद एवं कीटनाशी की धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। खाद्य/सामाजिक सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं का सामाजिक मूल्यांकन जरूरी है। मौसम आधारित फसल बीमा लागू किए जाएं और किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अविलम्ब नीति बने। भूख से मृत्यु की परिभाषा तय करने के लिए सरकार एक मानदण्ड तय करेएवं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर भूख से होने वाली मौतों की जांच का जिम्मा भी इसी आयोग को सौंपा जाए। यही नहीं, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों के समन्वय सहित एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है। बिहार आंदोलनों का इतिहास संजोए हुए है इसलिए भूख मुक्त बिहार बनाने के लिए भूख के विरूद्ध अभियान चलाने में भी देश में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु हम सभी कृतसंकल्पित हैं।

प्रमोद कुमार सिंह
निदेशक
विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान, पटना–23
(लेखक खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर एक दशक से कार्यरत है।)

Economic Status of Muslims in Bihar

As data provided by NSSO 55Th round Muslim population in Bihar in 2001 was 15.9% of the total population of the state. The population of OBC among muslims was 40.6% in 1999-2000 which rose up to 63.4% in the 2004-05. It is very important to note here that while general population of muslims which was 59.4 in 1999-2000 reduced to 36.6% during 2004-05. Although mulsim population in the state during 1991-01 increased little faster than other communities, trends in share of muslims population has been very slow over the years. Muslim share in total population of the state was 12.5% in 1961 13.5% in 1971, 14.1% in 1981, 14.8% in 1991 and 15.9% in 2001.

Like education and other social sectors Muslims in the state are seriously lagging behind in terms of most of economic development indicators. It is because of the fact that muslims have not shared equally the benefits of the growth processes. Despite being the largest minority of the country Muslims are one of the most backward communities. majority of them are destined to live in conditions worse than SC/ST. Decreasing employment rate, high poverty ratio, low participation in government Schemes, low credit ratio, low saving rate, low entrepreneurship, poor land ownership are some of the basic characteristic of Muslim economy in the state.

Employment among Muslims

The participation of Muslim workers in salaried jobs both in the public and private sectors is quite low compared to others communities. According to Sacchar committee report share of Muslim employment in state government services is only 7.6% Disaggregated figures show that 12.3% muslims are in education, 2.6% in health women and child welfare, 6.9% in home department, 10.9% in transport and 7.6% in other department. Share of employees in state public sector undertaking are 8.6% in higher position and 6.4% in lower position. Data further shows that the Muslims are 1.5% in grade A, 11% in B, 6.6% in C, 4.2% in D and 11.1% in others, of PSUS. While the over all employment deficit is large across departments, Muslims tend to get absorb to a limited extent in loner position. Muslims share in employment in various department are abysmally low at all levels. The presence of Muslim was found to be only 3% in IAS, 1.8% in IFS and 4% in IPS. Their share as direct recruit through competitive examinations in low at 2.4% 1.9% and 2.3% respectively. Although percentage of Muslim candidates appearing in the examination is very low (4.9%) compared to their share of 13.4% population, the success rate of Muslims in about the same as other candidates. It means that there is no dearth of genius candidates among Muslims. The need is only to create favorable atmosphere for them. Muslims have only 4.5% employment in Indian railways, and it is very saddening to note that all most all (98.7%) of them are working in lower positions. At national level Muslims representation in the judiciary is about 7% while OBC 23% and SC/ST about 20%. All there figures are enough to reflect their worrisome position. Muslim worker population ratio are lower compared to other communities but their positions is better in urban areas. Work participation rates for Muslim women is much lower then even upper caste Hindu women because work opportunities for them within the house hold are very limited. There is high share of Muslim workers in agriculture than non-agricultural activities. Those who blame parda System for low work participation rate among muslims women are not justified. Most of the Muslim women in rural areas keep engaged themselves in income generating activities like animal husbandry, tailoring, poultry, carpet and knitting works, basket making and toys making etc. all these activities are done within the boundary of she house and so it is not counted. If muslims women with responsibility of household duties contribute in family income, it must be encouraged. Participation of muslims workers is higher than others in the manufacture of fabricated metal products, among non manufacturing where majority of muslims work are mainly cottage industries, land transport, retail trade, motor garages, embroidery beedi making, steel furniture, book binding, tailoring, garment dying and printing spinning, weaving, knitting, all such works are mostly done by muslims males in urben areas.

Thus majority of Musling in the state are associated with their traditional occupations and their participation in professional and managerial cadre in very low. Therefore in view of this situation it is imperative to invoke different policy for different sectors to make their products more productive and marketable. The traditional occupations of muslims in industries such as silk and seri culture, hand and power looms, the leather industries etc. are facing lot of

problems in the age of globalization and liberalization. Their main problems include decreasing export and increasing import of their products, expensive power and raw materials, lack of subsidies, non-availability of credit and proper marketing support, lack of upgraded skill, lack of supportive govt. policy etc. Urban Muslim women are self employed home based works in sewing, embroidery, applic and zari work, chikan work, readymade garments, agarbatti rolling, biddee rolling etc. In several district of Bihar such home based industries has virtually collapsed or on the verge of collapse, leaving poor muslim women in miserable conditions.

In addition to other factors it is also due to vicious circle of poverty, lack of education, and technical skill. There is also huge discrimination in respect of credit facilities to them as several sampling study confirm this fact. They have very low participation in government micro finance programmes like SHGs, watershed programme and panchayti Raj. Lack of basic infrastructure like roads, electricity etc. has an adverse impact on the livelihood of general Muslims particularly artisans and craft men. Because of insecurity felling they don't buy plots in district industrial estate. Muslims have very poor or negligible participation on all government development schemes. In national rural employment guarantee schemes they have not been benefited compared to other communities in most of the districts. Due to biased views many eligible Muslims families have not been included in BPL list which deprive poor muslims from the benefit of Government schemes like NFBS, old age pension, state pension scheme Annatoday, Annapurna schemes etc. According to state minority commission report only 4% of Muslims in Jwahar Rojgar Yojna, 4.2% IAY, 0.4% PMRY, 1.5%, maternity benefit schemes 0.2% ICDS have been benefited. Muslim poor women are the worst sufferers for such discriminatory attitude.

Poverty and livelihood status

The abslute dimension of povery among muslims is still a big challenge. The Muslims headcount ratios are significantly very higher than the state overage. Muslims of such categories consume only 75% of the poverty line expenditure which is lowest compared to others. Poverty ratio among muslim on an average is 56% According to another report (ADRI) muslims in urban areas constitute 44.8% of BPL families while 49.5% in rural areas. In fact this is very high poverty ratio among muslim compared to others and 25% urban household (SC/STs, OBCs, general and all). 41.5% rural muslims household are believed to be severely indebted. Only 4.1% in rural areas and 0.4% in urban areas muslims are benefited from government schemes in the state. This is why economic conditions of urban muslims have not improved as much as of others. Low muslim participation in food security schemes is worrisome. As per state minority commission report 0.9% in Annpurna, 0.6% in Annatoday, 1.8% Muslims have been benefited. Only 12% muslims have red card which is very low compared to their poverty ratio.

NFHS-2 report says that only 35.9% muslims posses cultivable lands compared to 58% for general population. Only 28% Muslims cultivate their lands. As the average size of land holdings is very small they have to lease it out or give it to the big land size holders. Landlessness among them is a great problem as result of it ¾th muslim population depend on wage and self employment. In Bihar no separate quota for muslims has been reserved for public employment. nine Muslim groups figure in the bacl ward - caste list and 27 in the MBC list.

Access to bank credit

Bank credit occupies very important place in uplifting any community. But here also Bihar presents very depressing scenario in respect of muslim. In the state muslims share in accounts in more or less comparable with their population. But amount outstanding as priority sector advances is for below then their population share. RBIs efforts. For banking and credit facilities under PM 15- point program has mainly benefited other minorities, marginalizing.

Major Hurdles:-

- Lack of awareness about schemes and job
- Poor governance, discriminatory attitude of govt. agencies, bank agencies
- Poor credit facilities and low entrepreneurship social attitude and gender discrimination
- Mass illiteracy among muslims lack of strong will power of govt. with poor government lack of positive frame of mind among muslims suggested measures

- Cent present literacy mission be achieved among muslims without gender disparity as there is no toll for development more effective than the education.
- Integrated strategies are required to confront the multifaceted barriers to increase the employment and livelihood status.
- Economic must be merged by human rights principles, poverty reduction and other social development.
- Lofty ambitions, good intentions, election manifesto, setting up committees and commission will not produce human progress. Any sustainable development cant not be achieved with half measures. Sound investment, a resolute commitment to justice for all are required.
- This should be skill development and flow of credit in the sectors where muslims workers are concentrated.
- This is need enhance the productivity and market potentials of small enterprises like spinning, weaving, leather processing, sericulture, embroidery etc.
- There is a need of intervention for muslim small enterprises/workers in Bihar as initiated by creditable and devoted NGOs like MAYA of Karnataka which supports key discuses of marketing, changing needs, product designs, development and capacity building for colleting members.
- Step should be taken specifically direct credit to muslim, there should be awareness of various credit and job schemes through wide publicity is local languages. Bank policy should be liberal in this regard
- Entrepreneurial development programs specially for muslims
- As self employment in the main source of income for muslims it is necessary to support them by ensuring a smooth flow of credit to them at easy installment and interest rate
- Their should be a comprehensive policy to enhance the participation of muslims on micro credit schemes of SIDBI, and NABARD and other commercial banks. Bank should reserve credit quata for muslims
- The capacity building and assistance programme of NABARD has considerable potential to benefit muslims. Bank should catalyze the process in effective manner.
- SHGs formation among should be promoted country and many countries of the world .
- Muslim youths should participate in professional and job assented courses. Muslim should participate satisfactorily in institution like Jansikhsan Sansthan etc. and get benefit.
- Recommendation of Sacchar committee and Rangnath Mishra should sincerely implemented in all states including Bihar without any further delay.

Muslim being the largest minority and India having the largest muslim population on the world we can't realize the dream if a developed India by 2020 without developing this largest segment of population their should be strong will power and firm commitment from the side of government to uplift this deprive section of society who have been neglected for long. But what is most unfortunate is that who taunt about the plight of muslims (specially muslim women) are today the greatest opponent of implementation of SC report terming it blatant appeasement of muslim. Anybody can very well understand whether they are concerned with the plight of muslim community or are really trying to communalise muslims issues for their vested interest. Unless we focus our attention on the target date for the country's development the millennium development goal for 2015 are going to slide by, unrealized and we well latter lose squandered human potential. In the interest of the nation it is high time not communalize or politicize any such issue for petty gains. It we will repeat the past mistakes we will lag far behind and we can not catch up with the developed countries of the world.

Dr. Shakeel Ahmad Khan
Department of Economics, Oriental College, Patna city

शिक्षा सब के लिए

शिक्षा पर जैसे ही चर्चा होती है, तो स्मृति पटल पर विद्यालय का एक चित्र उभरता है। छात्रों का विद्यालय में प्रवेश करना और उस समय माँ सरस्वती के चित्र का स्मरण करना। विद्यालय में प्रवेश करते ही अपने गुरू को हाथ जोड़कर प्रणाम करना या चरण–स्पर्श करना। बहादूर चपरासी द्वारा घंटी बजाकर प्रार्थना हेतु उपस्थिति के लिए प्रेरित करना। मैदान में सभी छात्रों का एकत्रित होना। प्रार्थना के उपरान्त अपने–अपने कक्षा में जाना शिक्षक महोदय का कक्षा में प्रवेश। उपस्थिति, वहीं से हाजरी पुकारना। मध्यान् में टीफीन करना और मैदान में छात्रों का उछल–कूद करना । प्राथमिक विद्यालय में छात्र–छात्राओं का एक साथ पढ़ना ।

यह उभरता चित्र किसी प्राचीन–काल की स्मृति नहीं है बल्कि यह स्थिति मात्र 31 वर्ष पूर्व इस राज्य के सरकारी विद्यालयों में कायम थी । सन् 76 के पूर्व जिन लोगों ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण की है उनकी स्मृति में यह सब चित्र होंगे बाद के युवा वर्ग ने ऐसे चित्र नहीं देख हैं। 3 फरवरी 1976 को बिहार राज्य में प्राथमिक शिक्षा का सरकारीकरण हुआ था। बिहार एक्ट 30/76 के तहत उन सभी विद्यालयों को, जो जिला परिषद्, नगर पालिका एवं नगर–निगम के अधीन चल रहे थे, सरकार ने अपने अधीन कर लिया और शिक्षकों का वेतन सरकारी खजाना से देने की व्यवस्था की गई। तत्कालीन सरकार ने उपरोक्त विद्यालायों के अतिरिक्त अनेक निजी विद्यालयों का भी सरकारीकरण किया। जानकारों का मानना है कि सरकारीकरण से विद्यालयों की व्यवस्था बिगड़ने लगी।

प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या हुआ ? जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालयों की व्यव्स्था चरमराती चली गयी। राज्य और केन्द्र सरकार को उस व्यवस्था को बचाने के लिए अनेक उपाय करने पड़े हैं और ऐसे सभी उपाय असफल प्रयास ही सावित हुए हैं। 1986 से केन्द्र और राज्य सरकार अनेक योजनायें लगातार चला रही हैं। बिदेशी सहायता की बड़ी धनराशि प्राप्त किये जा रहे हैं।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना – 1986 आपातकाल – 1976 में प्राथमिक विद्यालयों के राष्ट्रव्यापी सरकारीकरण के बाद विद्यालयों का भौतिक आस्तित्व ही खत्म होने लगा था। कुछ जानकारों का मानना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अत्यंत जल्दीबाजी में यह कार्य किया था। सन् 1986 में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी की सरकार ने नई शिक्षा–नीति की घोषणा की। इस नीति का सबसे अहम और बड़ा कार्यक्रम था – आपरेशन ब्लैक वोर्ड (ओ०बी०बी०) के लिए एक कमरे और दो कमरे का भवन बनाना था। साथ ही साथ ब्लैक वोर्ड एवं अन्य उपस्कर भी प्रदान करना था। इस कार्यक्रम से भी विद्यालय का अस्तित्व नहीं बनाया जा सका। आपरेशन ब्लैक वोर्ड को असफल मान लिया गया। लेकिन विद्यालय के नाम पर कमरा बनाने का सिलसिला आज भी जारी है। ऑपरेशन ब्लैक वोर्ड के कारण विद्यालयों के परिभाषित करना कठीन कार्य हो गया।

बिहार शिक्षा परियोजना (1986) – यह योजना प्राथमिक शिक्षा में छात्रों के छीजन (ड्रॉप आउट) पर आधारित था। एक रिपोर्ट के अनुसार पाचवां वर्ग जाते–जाते 65 प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। 8वां वर्ग जाते–जाते 86 प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। इस योजना का उद्देश्य 65 प्रतिशत छीजन को घटाकर 45 प्रतिशत करना था।

कार्यक्रम सन् 1989 से लागू होना था। इस पंचवर्षिय कार्यक्रम पर कुल 1578 करोड़ रूपये खर्च होने थे। सन् 1989 के बदले यह कार्यक्रम 1990 में शुरू हुआ। प्रारंभ में ही 1578 करोड़ रूपये की योजना को घटाकर 330 करोड़ कर दिया गया। बिहार शिक्षा परियोजना का खर्च राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को मिल कर उठाना था। बिना कारण बताये ही यह योजना छोटा कर दिया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि कार्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण बिहार के लोग नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ही करती है।

इस योजना के कार्यन्वयन की सबसे बड़ी खामी नामांकित छात्रों का फर्जी आंकड़ा की प्रस्तुती थी। एक–दो कमरे के विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति नहीं के बराबर थी। शिक्षक अपनी नौकरी के खातीर छात्रों का फर्जी नामांकन कर लेते थे। स्वाभाविक है कि फर्जी नामांकन से जो छात्रों का छीजन (ड्राप आउट) होगा, वह भी फर्जी होगा। योजना के प्रारम्भिक दौर में

ही लेखक सहित प्रतिनिधि मंडल ने बिहार शिक्षा परियोजना के तत्कालीन निदेशक को इसकी जानकारी दी थी। किंतु अधिकांश सुझावों को दरकिनार कर दिया गया।

1995 में डी०पी०ई०पी० नाम से योजना बनी । बी०ई०पी० में जुड़े लोगों को ही उस में लगा दिया गया। इधर शिक्षाविद्‌ों ने प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की मांग रख दी। उनका तर्क था कि शिक्षकों की कमी के कारण प्राथमिक शिक्षा सबों को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। किंतु राज्य सरकार ने शिक्षकों का और बोझ उठाने में असमर्थता व्यक्त कर दी।

सर्व शिक्षा अभियान (2001) सन् 2001 में अटल जी की सरकार के विद्वान मानव विकास संसाधन मंत्री डा० मुरली मनोहर जोशी – सर्व शिक्षा अभियान को लेकर सामने आये। इस अभियान को भी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त है। इसके तहत 10 लाख शिक्षा मित्रों की बहाली का प्रावधान किया गया। बिहार में अबतक एक लाख से अधिक शिक्षा मित्रों की बहाली हो चूकी हैं। लेकिन 6 से 14 आयु वर्ग के राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य ज्यों का त्यों बना हुआ है।

विचाराणीय प्रश्न है कि इतनी योजनायें, इतना खर्च, फिर भी शिक्षा संबंधी समस्याओं का सामाधान नहीं हो रहा हे। इसके पीछे क्या कारण हैं ?

समान स्कूल प्रणली (2007) – बिहार में प्राथमिक शिक्षा पर अनेक प्रयोग किये गये हैं। उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय आदि का भी प्रयोग किया गया । जोर–शोर और ताम–झाम के साथ शुरू हुआ यह प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया । परन्तु परिणाम की दृष्टि से पूरी तरह असफल रहा। आज तो चरवाहा और पहलवान विद्यालय का आस्तित्व भी नहीं है।

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही वर्तमान सरकार ने शिक्षा को निश्चित रूप से गंभिरता से लिया है उन्होंने समान स्कूल प्रणाली आयोग श्री मुचकुन्द दुबे की अध्यक्षता में गठित की । इस आयोग ने अपने निश्चित समय में सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी। इस आयोग ने शिक्षा पर किये गये पूर्व के सभी प्रयासों को लगभग नकार दिया है। समान स्कूल प्रणाली आयोग की रिपोर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए । यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आयेाग के सदस्यों की विद्वता, योग्यता और सत्य निष्ठा पर भी कोई संदेह नहीं कर सकता है।

विद्यालयों की भवन के अनुसार स्थिति (वर्ष 2003)

क्र०	श्रेणी	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	कमराविहीन	4083	454
2.	1 कमरा	6318	263
3.	2 कमरा	21832	1412
4.	3 कमरे	4841	1514
5.	4–6 कमरे	3459	5228
6.	7–10 कमरे	113	1986
7.	11 एवं अधिक	10	282
		40646	**11139**

52202 विद्यालयों में शेष विद्यालयों की सूचना अप्राप्त

आयोग की अनुशंसा से दो बातें स्पष्ट रूप से उभर कर आती हैं – 1. वर्तमान स्कूली व्यवस्था मृतप्राय है। इसलिए स्कूली व्यवस्था की पुनः संरचना (त्मेजतनबजनतम) की जाय। 2. शिक्षकों की कमी पूरा करना तथा व्यवस्था का पुनर्गठन ;त्म.वतहंदपेंजपवदद्ध करना भी जरूरी है।

आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने आयोग की अनुशंसा को निश्चित रूप से लागु करने की घोषणा की है जो प्रशंसनीय है। आयोग की रिपोर्ट पर शिक्षाविद्‌ों में लगभग पूरी तरह सहमति दिखती है परन्तु उनकी अनुशंसा पर लोगों ने नाक–भौं सिकोड़ना शुरू कर दिया है। आयोग की अनुशंसा के आधार पर लगभग

एक लाख विद्यालय खोलना होगा, 15 लाख शिक्षकों की जरूरत होगी और वार्षिक खर्च लगभग 16500 करोड़ रूपये होगे। इतना सामर्थ्य राज्य सरकार के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों का मत है कि आयोग की अनुशंसाा ज्यों का त्यों धरा रह जाएगा। ''राधा को न नौ मन घी होगा, न राधा नाचेगी,''। की स्थिति यहां पैदा हो गयी है। ऐसी स्थिति में भी समान स्कूल आयोग की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मुख्य मंत्री की प्रतिवद्धता को देखते हुए विद्वतजनों को चाहिए कि आयोग की अनुशंसाा पर अपना विचार दे। अनुशंसा पर निश्चित रूप से कुछ बदलाव की जरूरत है तो उसे भी दर्शाना जरूरी प्रतीत होता है।

आयोग ने अपनी अनुशंसा में राज्य के छोटे गांवो की समस्या पर ध्यान नहीं दिया बिहार में छोटे गावों का बाहुल्य है। यह स्थिति लगभग सभी हिन्दी प्रदेशों का है, जिसपर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। 38584 गांवों वाले बिहार राज्य में 5139 ऐसे गांव है जिसकी आवादी 200 से भी कम है यहां अधिकतम 30 बच्चे प्राथमिक शिक्षा पाने के योग्य होगें। ऐसे गांवों के लिए आयोग ने विद्यालय की कोई रूप रेखा प्रस्तुत नहीं किया है। 200 से बड़ी आबादी वाले 8683 गावों में भी अधिकतम 60 बच्चे होगें। वहां भी यही स्थिति पैदा होगी। अर्थात 13822 गांव विद्यालय विहिन रह जायेगें।

प्राथमिक शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो जिसके अन्तर्गत विद्यालय की स्थापना प्रत्येक गांव में अनिवार्य रूप से हो।

समान स्कूल प्रणाली आयोग ने पिछले तीस वर्षों से शिक्षा के प्रचार – प्रसार के लिए जो योजनाएं परियोजनायें बनी, उनकी असफलता पर टिप्पणी नहीं की है। आज इस बात की आवश्यकता है कि उन मुद्दों पर चर्चा की जाए तभी हम सही निष्कर्ष पर पहुच सकते हैं। इससे आयोग की अनुशंसा को लागू करने में भी मदद मिलेगी।

हमारा मानना है कि शिक्षा सबके लिए हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा–बहस होनी चाहिए एवं मूल्यांकन भी जरूरी हो गया है।

1. 1976 में विद्यालयों के सरकारीकरण से शिक्षा के प्रसार में कितना लाभ–हानी हुआ।
2. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की असफलता के क्या कारण हैं ? इस योजना को लाने का उद्देश्य की पूर्ति हुई?
3. बिहार शिक्षा परियोजना प्रारंभ में ही क्यों दम तोड़ दिया ? इस अन्तर्राष्ट्रीय पहल में क्या कमी रही?
4. सर्व शिक्षा अभियान से शिक्षा के प्रसार में कितना लाभ हो रहा है ? इसका सामाजिक मूल्यांकन जरूरी है।
5. बिहार सरकार के वार्षिक बजट का सबसे बड़ा खर्च शिक्षा पर है, फिर भी शिक्षा – बजट प्रस्ताव बिना मूल्यांकन बहस के पास हो जाते है?
6. समान स्कूल प्रणाली आयोग की अनुशंसा के अमल से राज्य की छोटी आवादी वाले ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का प्रसार हो सकेगा? यदि नहीं, तो इस अनुशंसाओं में परिवर्तन होना चाहिए?
7. राज्य में निश्चित रूप से शिक्षकों के प्रति सम्मान घटा है, कारणों का निदान नहीं हुआ ।

शिक्षा पर समग्र बहस जरूरी है। केरल राज्य से बिहार की तुलना करने पर भी हमें एतराज है। केरल शहरी क्षेत्र बहुल्य राज्य है जबकि बिहार ग्रामीण क्षेत्र बहुल्य राज्य है। हमारी समस्यायें भिन्न है। हमें इन बातों पर भी गौर करना है कि बहस सार्थक हो। इसके लिए हम सभी विद्वत संघर्षशील जनों को आहवान करते हैं। आपकी पहल निश्चित रूप से राज्य को नई शक्ति देगी। सबों को शिक्षित करने का लक्ष्य 2015 तक पूरा होगा–यही हमारी आशा है –

सुनील कुमार सिन्हा

(लेखक प्राथमिक शिक्षा के मुद्धे पर दो दशक से सक्रिय हैं)

बिहार में गरीबों की आजीविकाएँ – वर्त्तमान की चुनौतियाँ

आजादी के साठवें वर्ष में यदि संविधान के 41वें अनुच्छेद की मंशा के अनुरूप नागरिकों के 'काम के अधिकार' को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की भूमिका का मूल्यांकन करना हो तो बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य का प्रसंग अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्षों से 'बीमारू' राज्यों की श्रेणी में शमिल बिहार राज्य का पिछड़ापन विभिन्न औपनिवेशिक नीतियों व राजनैतिक घटनाक्रमों का परिणाम तो रहा ही है, साथ ही विभिन्न प्राकृतिक व मानवनिर्मित आपदाओं ने भी राज्य की स्थिति को निरन्तर चिन्ताजनक बनाए रखा है। आज यदि बिहार से मजबूरीवश पलायन की घटनाएँ किसी कारण से अचानक कम हो जाए (जैसा असम में हिंसा की घटनाओं या कई शहरों में उद्योगधंधों के बन्द होने के बाद देखा जा रहा है), सवाल उठता है कि क्या मौजूदा संसाधनों तथा आजीविका के अवसरों के भरोसे राज्य की आबादी का गुजारा चल सकता है? सही मायने में देखा जाए तो आज की स्थिति में पलायन की घटनाएँ बिहार की बड़ी आबादी को भुखमरी की चपेट से बचाने के लिए अत्यावश्यक प्रतीत होती हैं।

बिहार में गरीबी दूर करने की दिशा में सरकारी प्रयास आज की तारीख में अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। राज्य में लागू किये गए ग्रामीण रोज़गार गारन्टी कानून के तहत वर्ष 2006 – 07 में पंजीकृत परिवारों को औसतन सिर्फ 35 दिनों का ही रोजगार मुहैया करवाया जा सका, जिनमें महिलाओं द्वारा हासिल रोजगार दिवसों का अनुपात सिर्फ 17ः रहा। दुर्भाग्यवश, योजना के कार्यान्वयन में 'गारन्टी' का पहलू नदारद सा दिखता है, जो 'बेरोजगारी भत्ता' जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान के अमल में न लाए जाने से स्पष्ट ज़ाहिर होता है। योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में कई अन्य खामियाँ भी देखी गई हैं, जैसे मजदूरी के भुगतान में देरी, सरकारी दर से कम मजदूरी दिया जाना, ठेकेदारों का इस्तेमाल या बहुत कम संख्या में रोजगार कार्ड का वितरण। मजदूरी भुगतान में हुए देरी की वजह से पिछले वर्ष दरभंगा जिले की सरुप्रिया देवी की भूख से मरने की घटना एक चिन्ताजनक उदाहरण के रूप में सामने आया। ठीक इसी प्रकार, गया के मोहनपुर जैसे प्रखण्डों में भी हानिकारक भोजन ग्रहण करने की मजबूरी के कारण कई लोगों के मरने की घटनाएँ भी देखने को मिली। इन खामियों के बावजूद यह बात सराहनीय है कि बिहार में दलितों को उनके जनसांख्यिक अनुपात (15.72ः) से कहीं ज़्यादा 47ः रोजगार उपलब्ध कराया गया। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि लाया जाना व मिट्टी कटाई जैसे कार्यों की इकाई मात्रा को व्यवहारिक दिक्कतों के मद्देनज़र पुनर्परिभाषित किया जाना भी महत्वपूर्ण नीतिगत पहल हैं।

सवाल सिर्फ भूख से मरने वाले लोगों की संख्यामात्र का नहीं है। अहम सवाल ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले लोगों का है जो कभी भी, आकस्मिक आपदाओं की वजह से भूख से मरने की स्थिति में पहुँच सकते हैं। परिवार के लिए भोजन जुटाने की मजबूरी एक ऐसी मजबूरी है, जो कालाज़ार जैसे भयानक बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद अस्पताल से भाग निकलने के लिए लोगों को बाध्य करता देखा गया है, भले ही इसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। पिछले साल वैशाली जिले में इस प्रकार की कई घटनाएँ देखने को मिलीं।

जहाँ तक खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का सवाल है, बिहार में गरीबों की एक बड़ी तादाद अन्त्योदय अन्न योजना व अन्नपूर्णा योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित है, जिनमें बड़ी संख्या में मुसहर व भुइयाँ जैसी अनुसूचित जाति के परिवार शामिल हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में आज भी प्रति हजार जनसंख्या में उचित मूल्य की दूकानों, गरीबी रेखा से नीचे वाले कार्डधारियों व अन्त्योदय कार्डधारियों की संख्या काफी कम है। साथ ही, गरीबी रेखा के नीचे अवस्थित लोगों के लिए जारी खाद्यान्न का उठाव भी कम है, जो खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी 2006–07 के आँकड़ो से स्पष्ट ज़ाहिर होता है।

2006 – 2007 में लक्षित जनवितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का उठाव (हजार टन में)

	आवंटन				उठाव				प्रतिशत उठाव			
	ठच्स	।च्स	अन्त्योदय	कुल	ठच्स	।च्स	अन्त्योदय	कुल	ठच्स	।च्स	अन्त्योदय	कुल
बिहार	2019	1307	662	3988	448	9	566	1024	22	0.7	85	26
भारत	18005	30283	9368	57656	14233	8449	8697	31380	79	28	93	54

राष्ट्रीय सॅम्पल सर्वे संगठन ;छैव्द्व द्वारा हाल में जारी किये गए आँकड़ों के मुताबिक राज्य में गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले लोगों के अनुपात में कमी आई है। ;छैव्द्व द्वारा 2004–05 में संचालित 61वें दौर के सर्वे के अनुसार बिहार में लगभग 32.57 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे अवस्थित हैं। ;1999 – 2000 में यह अनुपात 42.6 प्रतिशत था द्व। पिछले पाँच वर्षों के दौरान बिहार में गरीबी के स्तर में 1.69 प्रतिशत के वार्षिक दर से कमी आई है, जो राष्ट्रीय दर ;0ण्79ः द्व से ज़्यादा है। यहाँ यह बताना आवष्यक है कि ;छैव्द्व द्वारा जारी आँकड़ें एक 'मिश्रित सम्दर्भकाल पद्धति' पर आधारित हैं, जो घरेलू व्यय के पाँच मुख्य मदों (शिक्षा, कपड़े, जूते या चप्पल, अचल सम्पत्ति व बीमारियों का इलाज आदि द्व पर पिछले 365 दिनों के दौरान होने वाले खर्च को हिसाब में लेती है। ये आँकड़े किसी भी रूप में गरीबी के गैर आर्थिक पहलुओं, यथा सामाजिक प्रतिबन्ध, दूरत्व, लिंगभेद या शक्तिहीनता जैसे कारकों के प्रभावों को परिलक्षित नहीं करते, जो सही मायने में किसी व्यक्ति की तुलनात्मक स्थिति व सामर्थ्य का निर्धारण करती हैं। बिहार के पिछड़े व सामाजिक रूप से ध्रुवी.त समुदायों में इन कारकों के प्रभावों का आकलन किये बगैर महज़ आर्थिक पैमाने पर गरीबी का आकलन भ्रामक हो सकता है।

नई सहस्राब्दि के शुरुआती पन्द्रह वर्षों में (2015 तक) विश्व में व्याप्त गरीबी के स्तर को आधे करने की मुहिम निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस दिशा में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा अनुमोदित 'मिलेनियम विकास लक्ष्यों' में सबसे पहला लक्ष्य दुनियाभर में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या को आधी करना है, जो गरीबी रेखा से नीचे या भुखमरी के कगार पर जीवन बसर कर रहे हों। ज़ाहिर है, ऐसा तभी हो सकता है, जब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विभिन्न गरीब राष्ट्रों व प्रान्तों की स्थानीय सरकारों के स्तर पर पर्याप्त राजनैतिक इच्छाशक्ति मौजूद हों। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सिर्फ संख्यात्मक परिणामों पर अतिशय ज़ोर देना हानिकारक हो सकता है। लक्ष्य हासिल करने का दबाव किसी सरकार को विषम परिस्थितियों में रहने वाले गरीबों की वास्तविक संख्या की असम्पूर्ण गणना के लिये प्रेरित कर सकती है। काफी हद तक पिछले दिनों केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा बगैर किसी गम्भीर अध्ययन के बिहार जैसे पिछड़े राज्य में खाद्यान्न आपूर्त्ति के लिये सिर्फ 65 लाख गरीबों का निर्धारण किया जाना इस प्रकार का ही दृष्टान्त प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार, 2002 में गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसार नए तरीके से गरीबी रेखा निर्धारण के उद्देश्य से 2006 में संचालित सर्वे में बिहार में जिस पैमाने पर सुपात्र गरीब परिवार वंचित हुए, वह भी गरीबी निर्धारण की प्रक्रिया में गम्भीर खामियों की ओर इशारा करता है। नए तरीके के मुताबिक, किसी गरीब परिवार द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजा जाना, अपने सदस्यों के लिए दो जोड़े से ज़्यादा कपड़े रखना (भले ही कपड़े कितने ही सस्ते क्यों न हों) या सरकारी योजनाओं की बदौलत आवास या शौचालय की सुविधा प्राप्त करना कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जो उस परिवार विशेष की पात्रता में कमी लाती हैं, भले ही वह परिवार भीख मांगकर ही जीवननिर्वाह क्यों न करता हो!

गरीबी रेखा निर्धारण के प्रचलित तरीकों की खामियों के मद्देनज़र गरीबों की पहचान के लिए और ज़्यादा पुख्ता तरीकों की सख़्त आवश्यकता है, ताकि पलायन के लिए मजबूर विकल्पहीन खेतिहर मजदूर, सार्वजनिक संसाधनों से प्रतिबन्धित दलित परिवार, आश्रयहीन वृद्ध व्यक्ति, परित्यक्ता अकेली महिलाओं व कर्ज़ के दबाव में ज़मीन की मिलकियत खो देने वालों जैसे बदहाल लोगों को सुनिश्चित रूप से गरीबी रेखा में शामिल किया जा सके। जबतक गरीबी का

निर्धारण एक समग्र दृष्टिकोण से नहीं होता, मिलेनियम विकास लक्ष्यों की दिशा में बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की प्रगति का सही रूप में आकलन मुश्किल है।

जहाँ तक कृषिक्षेत्र का सवाल है, जो आज भी राज्य की आबादी के बहुसंख्यक हिस्से का पोषण करती है, स्थिति बहुत आशाजनक नहीं दिखती। कृषि, जो बिहार में ग्रामीण रोजगार का मुख्य साधन है, जनसंख्या के साथ कदम मिला कर नहीं चल पा रहा। फलस्वरूप, प्रति व्यक्ति उत्पादकता में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही। 1993 से 2000 के बीच बिहार की जनसंख्या में 23 प्रतिशत या तकरीबन 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई। इस दौरान खाद्यान्न उत्पादन में मात्र 13.5 प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी, यानी प्रति व्यक्ति खाद्यान उपलब्धता में लगभग 13 किलोग्राम की कमी आयी। किसानों के अनुसार, इस विकट परिस्थिति के कई कारण हैं, जैसः– लगातार बाढ़ और सूखा (अलग–अलग क्षेत्रों में), बड़ी संख्या में पलायन के कारण खेतीहर मजदूरों की बढ़ती अनुपलब्धता, खेती के लिये ऋण मिलने में बढ़ती परेशानी, और कहीं कहीं नकली बीज या खाद के चलते गेंहूँ और मक्के के उत्पादन पर बुरा प्रभाव। साथ ही, बड़ी तादाद में छोटे या सीमान्त भूखण्डों के कारण (जो कि बिहार के संदर्भ में 80 प्रतिशत से भी अधिक है) कृषि में लगाये जा रहे लागत की वसूली संभव नहीं हो पाती। इनके अलावे, राज्य के कई भागों में पिछले कुछ दशकों के दौरान भूजल के स्तर के अप्रत्याशित रूप से नीचे गिरने के कारण स्थानीय कृषि और हरियाली पर बुरा प्रभाव देखने को मिला है। मगध क्षेत्र जो कि सिंचाई हेतु अपने पारंपरिक आहर – पाईन व्यवस्था के वृहत फैलाव के लिये जाना जाता था, आज लगातार अवहेलना के कारण राज्य का एक सूखाग्रस्त क्षेत्र बन कर रह गया है।

कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बिहार की वर्त्तमान स्थिति में राज्य की बहुसंख्यक ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्थायी तौर पर काम के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। लक्ष्यप्राप्ति के प्रयासों में संभाव्य आकस्मिकताओं (जैसे अत्यंत कम पलायन या चरम आपदाओं की स्थिति व इनके सम्भावित प्रभावों को झेल पाने की क्षमता) को ध्यान में लेना आवश्यक होगा। साथ ही, ज़रूरी होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून व अन्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं का युद्ध स्तर पर कार्यान्वयन। पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी सशक्तिकरण (पर्याप्त वित्तीय विकेन्द्रीकरण व भूमिका निर्धारण के साथ) भी इसके लिए एक आवश्यक कदम उठाया जाना जरूरी हो गया है।

अनिन्दो बनर्जी
(PRAXIS)

सहस्त्रावदी विकास लक्ष्य (डक्ळ) की दृष्टि से बिहार में प्राथमिक शिक्षा

राष्ट्रीय संदर्भ और बिहार

भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस बात की प्रतीज्ञा की है कि 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति करेंगें। यह सुनिश्चित करेंगे कि हर बालक और बालिका प्राथमिक स्कूल का एक पूरा सत्र पूरा करें। इसी परिप्रेक्ष्य में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि नीति निर्धारण और कार्यक्रम निर्माण की दृष्टि से नए मिलेनयिम में भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन का दावा किया जा सकता है, खासतौर से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में । वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21क को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को विधिवत मूल अधिकार का दर्जा दिया गया । उसके भी पहले शिक्षा में अबतक का सबसे बड़ा कार्यक्रम आरंभ किया गया–सर्वशिक्षा अभियान । सर्वशिक्षा अभियान के तहत एम०डी०जी० लक्ष्य को निर्धारित अवधि 2015 से पहले पूरा करने का निर्णय हुआ। 2007 तक सभी बच्चों के लिए पाँच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना और 2010 तक सभी को बाकायदा आठ साल की शिक्षा देना ।

2007 आ चुका है। अभी भी बड़े पैमाने पर 6–14 आयु वर्ग कौन कहे, 6–11 आयुवर्ग के बच्चे भी स्कूलों से बाहर हैं। सातवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (2002–03) के अनुसार स्कूलों से बाहर रहने वाले में अधिकांश बच्चे (69:) सात राज्यों में रहते हैं – आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पं० बंगाल। 2002–03 में 33.87: ऐसे बच्चे महज दो राज्यों –बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं।

बिहार का सच

सच तो यह है कि मानव विकास और आर्थिक विकास के सभी पैमानों पर बिहार या तो सबसे निचली पायदान पर है या उसके इर्द–गिर्द । पिछले वर्षों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा दो सैम्पल सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए थे – असर 2005 और असर 2006 । स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या का प्रतिशत बिहार में सबसे अधिक पाया गया–दोनों वर्ष 13.1 प्रतिशत, जबकि इन वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर के आँकड़े हैं 6.5 प्रतिशत (2005)और 6.8 प्रतिशत (2006) यानी बिहार में स्कूल के बाहर बच्चों की संख्या राष्ट्रीय औसत की दुगुनी पायी गई ।

सकल नामांकन दर के अद्यतन आँकड़े उपलब्ध नहीं। बजट पूर्व की आर्थिक समीक्षा 2006–07 में भी वर्ष 2004–05 के ही आँकड़े दिए गए हैं। उसके बाद के वर्षों के लिए क्ैम्‍ के आँकड़े मिल सकते हैं या परिवार स्तरीय सर्वेक्षण सर्वे के, जो अविश्वसनीय हैं। सच तो यह है कि बिहार सहित भारत के सभी राज्यों में सरकारी आँकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध है। आँकड़ों के संग्रहण की विधियाँ भी असंतोषजनक हैं। स्थानीय स्तर पर स्थायी और अद्यतन आँकड़ों के संधारण की न तो कोई प्रणाली है, न किसी की जबावदेही। सर्वेक्षण के आधार पर तरह–तरह से आवधिक आँकड़े इकट्ठे होते हैं, जो शासन में ऊपर के स्तर पर भेजा जाता है और शायद ही कभी शैक्षिक नियोजन का आधार बन पाता है ।

अमूमन किसी भी सरकारी विद्यालय में दैनिक उपस्थिति नामांकन की आधी रहती है । यानी यदि स्कूल रजिस्टर में बच्चों का नाम दर्ज भी है तो काफी संख्या में बच्चे स्कूल आते ही नहीं । हां, यह मुमकिन हैं कि इसमें से कुछ बच्चे निजी विद्यालय में जा रहे हों । यदि उपस्थिति को आधार बनाएँ, तो प्रति दिन स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या स्कूल के अंदर के बच्चों से ज्यादा हो जाएगी ।

शुद्ध नामांकन दर के हाल के वर्षों के आँकड़े तो उपलब्ध नहीं, लेकिन सकल नामांकन दर के सरकारी आँकड़े प्राप्त हैं जिन्हें तुलना की दृष्टि से वर्ष 2000–01 एवं 2004–05 के लिए सारणी में दर्शाया गया है। बड़े राज्यों में बिहार के आँकड़े सबसे निराशाजनक हैं। राष्ट्रीय आँकड़ों से बहुत ही कम। स्पष्ट है कि बिहार में भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है ।

आँकड़े क्या कहते हैं ? – संदर्भ बिहार

- पहली नजर में ही आँकड़ों की प्रामाणिकता संदिग्ध है । फिर भी यदि आंकड़ो पर कुछ भी विश्वास किया जाए तो एक बात स्पष्टता से उभरती है कि प्राथमिक स्तर पर लड़कों के नामांकन दर में चार–पाँच वर्षों में कोई वृद्धि हुई ही नहीं । वस्तुतः 2000–01 से 2004–05 में तो नामांकन 98.24 प्रतिशत से घटकर 95.40 प्रतिशत हो गया । बिहार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है । उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कों की स्थिति चिंताजनक है। □यह संतोष की बात है कि इस अवधि में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि (10–11 प्रतिशत)की हुई है, लेकिन फिर भी यह राष्ट्रीय औसत दर से, जो लगभग 20 प्रतिशत था, काफी कम है।

सारणी–1

प्राथमिक शिक्षा ९ट ;6.11 वर्षद्ध

बिहार				भारत			
	लड़का	लड़की	कुल		लड़का	लड़की	कुल
बिहार 1999.2000	94.51	61.46	78.56	भारत 1999–2000	104.08	85.18	94.90
बिहार 2000.2001	98.24	60.49	78.97	भारत 2000–2001	104.91	85.92	95.66
बिहार 2004.2005	95.40	71.18	83.75	भारत 2004–2005	111.41	105.48	108.56

सारणी–2

उच्च प्राथमिक शिक्षा ट९टण्ष् ;11–14 वर्षद्ध

बिहार				भारत			
	लड़का	लड़की	कुल		लड़का	लड़की	कुल
बिहार 1999.2000	41.38	22.04	32.36	भारत 1999–2000	67.17	49.66	58.79
बिहार 2000.2001	40.71	20.72	31.29	भारत 2000–2001	66.68	49.94	58.64
बिहार 2004.2005	39.66	24.29	32.43	भारत 2004–2005	74.84	65.76	70.51

सारणी–2

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा ९टण्ष् ;6–14 वर्षद्ध

बिहार				भारत			
	लड़का	लड़की	कुल		लड़का	लड़की	कुल
बिहार 1999.2000	–	–	–	भारत 1999–2000	–	–	–
बिहार 2000.2001	75.92	45.62	61.35	भारत 2000–2001	90.26	72.26	81.58
बिहार 2004.2005	74.95	54.43	65.16	भारत 2004–2005	97.56	90.61	94.23

श्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2001–02, 2006–07

☐ आँकड़ों के आधार पर ही राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाने लगा है कि अब नामांकन और पहुँच का मसला कम–से–कम प्राथमिक स्तर पर सुलझ चुका है इसलिए एक ओर उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है तो दूसरी ओर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की । लेकिन बिहार जैसे राज्य अभी भी पहली सीढ़ी पर हैं, जहाँ नामांकन का सवाल या स्कूल से बाहर के बच्चों का सवाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है । ☐ उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर का इतना कम रहना यह दर्शाता है कि बिहार में छीजन दर की स्थिति बेहद निराशाजनक है । यदि किसी प्रकार से पहली कक्षा में सभी बच्चों का नामांकन करा भी दिया जाता है, तो बड़ी संख्या में वे दूसरी तक भी नहीं पहुँच पाते। बमुश्किल एक तीहाइ बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाते हैं और उनके सीखने का स्तर भी संतोषप्रद नहीं है। शिक्षा में गुणवत्ता का नितांत अभाव है। ☐ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर से कम है और उसमें राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा कमी भी आई है । प्राथमिक स्तर पर जहाँ

भारत में नामांकन का लैंगिक अंतर 2000–01 से 2004–05 में 20 से घटकर 6 के पास पहुँच रहा है, बिहार में वह महज 18 से घटकर 12 पहुँच पाया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भारत में यह 17 से घटकर 9 हुआ है जबकि बिहार में 20 से घटकर सिर्फ 15 तक पहुँच पाया है। इसलिए लैंगिक भेदभाव की दृष्टि से भी स्थिति घोर निराशाजनक है।

ऐसा क्यों है? – स्कूलों की उपेक्षा

□वर्षों से बिहार में स्कूली शिक्षा उपेक्षित रही है । स्कूलों की संख्या कम रही और उनमें कोई वृद्धि नहीं होती रही, खासतौर से उच्च प्राथमिक स्तर पर । 1993 से 2002 की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की संख्या 14.19 प्रतिशत बढ़ी जबकि बिहार में वृद्धि हुई महज 10.42 प्रतिशत (शहरी क्षेत्र में मात्र 4.6 प्रतिशत)। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो भारत में कुल वृद्धि 50.66 प्रतिशत थी जबकि बिहार में मात्र 1.12 प्रतिशत □ स्कूलों की अधः संरचना में कोई खास विकास नहीं हुआ । 2002 में जब देश में 3.83 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय भवनहीन थे, बिहार में यह संख्या 11.51 प्रतिशत रही। द यह संतोष का विषय है कि पिछले डेढ़–दो वर्षों में नए विद्यालय खुले हैं, बड़ी संख्या में नए भवन या अतिरिक्त कमरों का निर्माण हुआ है, शौचालयों का निर्माण भी हुआ है और अधः संरचना की स्थिति भी सुधरी । इनके आँकड़े वर्ष की समाप्ति के बाद सामने आएँगें और उनके परिणाम भी ।

शिक्षक प्रशिक्षण

एक ओर तो बिहार में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रायः ठप्प पड़ गई थी, दूसरी ओर नियुक्ति में प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान मृतप्राय हो गए । इस वर्ष नियुक्तियाँ तो बड़े पैमाने पर हुई हैं । (एक लाख से अधिक हो चुकी है और दो लाख छत्तीस हजार का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन प्रशिक्षण की व्यवस्था अभी भी जस का तस है । बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ, चयन के पूर्ण किसी भी जाँच का अभाव शिक्षकों की औसत गुणवत्ता के स्तर को तो प्रभावित करेगा ही, साथ ही प्रशिक्षण व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना गुणवत्ता की गंभीर समस्या में तब्दील होने की गहरी आशंका है

शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन

जिला स्तर का शैक्षिक प्रशासन जड़हीन और कल्पनाविहीन ही नहीं, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त भी है। प्रशासनिक निर्णय में पारदर्शिता का भी अभाव है। प्रशासन आम तौर पर गुणवत्तावृद्धि के लिए का सहायक नहीं, बल्कि उसके मार्ग में अवरोध है।राज्य में शैक्षिक प्रशासन एवं क्रियान्वयन सम्बंधी प्रक्रियाओं में सुधार की नितांत आवश्यकता है।

आशा की किरण और आशंकाएँ

जैसा ऊपर वर्णित है, हाल में राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, विद्यालय खुले हैं और एक बदलाव नजर आ रहा है। ये बातें निस्संदेह उम्मीद जगाती हैं, लेकिन रास्ता लंबा है और प्रयास में कई जगह अपनी कमजोरियाँ और सीमाएँ हैं। संस्थाएँ कमजोर हैं, शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों अधिकारी तंत्र अपने ढंग से चला रहा है और नागरिक समाज की स्पष्ट भागीदारी का अभाव है। राज्य में पहले शिक्षा पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ लेकिन उसकी सिफारिशों पर अमल किया गया हो, ऐसा नहीं दिखता । फिर भी एक समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन हुआ और हाल में इस आयोजन ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है । राज्य सरकार का दावा है कि समान स्कूल प्रणाली को लागू करने के लिए उसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव नहीं । लेकिन अब देखना है कि नए निर्णय कब और कैसे लिए जाते हैं और शिक्षा में क्या परिवर्तन सचमुच होता है !

अभी तक एम०डी०जी० लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हमारी उपलब्धियाँ निराशाजनक हैं। बिहार राज्य बहुत पिछड़ गया है । लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दोहरा प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा, अतिरिक्त संसाधन एवं इच्छाशक्ति जुटानी होगी, नई संस्थाएँ बनानी होंगी, नई प्रक्रियाएँ गढ़नी होंगी और सारे समाज को जोड़ना होगा । यह कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं ।

प्रोफेसर डा० विनय कंठ

अध्यक्ष, इस्ट एण्ड बेस्ट एजुकेशनल सोंसाइटी

मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के मानक स्तर पर

HEALTH STATUS IN BIHAR AND MDG

Heads and the Governments of 189 states of the world, in the Millennium Summit 2000 pledged to have a safe, more prosperous and just world by 2015. They identified eight Millennium Development Goals of which 3 goals are pertaining to improvement in health status of the people. These goals are referred as MDG 4 Goals and are as follows - **Goal: Reduce Child Mortality**

- **Target:** Reduce by two thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
- **Indicators**: Under-five Mortality Rate, Infant Mortality Rate,
- Proportion of one-year-old children immunized against measles
- **Goal: Improve Maternal Health**
- **Target:** Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
- **Indicators**: Maternal Mortality Ratio, Proportion of births attended by skilled health personnel
- **Goal: Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases**
- **Target**: Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS
- **Indicators**: HIV prevalence among pregnant women aged 15-24 years, Condom use rate of the contraceptive prevalence rate - a. Condom use at last high-risk sex, b. Percentage of Population aged 15-24 years with comprehensive correct knowledge of HIV/AIDS, c. Contraception Prevalence rate, d. Ratio of school attendance of orphans to school attendance of non- orphans aged 10-14 years
- **Target:** Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases
- **Indicators:** Prevalence and death rates associated with malaria Proportion of population in malaria-risk areas using effective malaria prevention and treatment measures

  Prevalence and death rates associated with Tuberculosis

  Proportion of Tuberculosis cases detected and cured under DOTS

This is an attempt to have a critical view of the aforementioned MDG goals in respect of Bihar. Instead of going goal wise the article attempts to look at the health scenario in Bihar more holistically. It can be mentioned at the very outset without the fear of being contradicted that at the present pace of progress Bihar cannot achieve any of the aforesaid goals by 2015. Although some improvement has been noticed in the health sector in Bihar after the implementation of flagship program of the National Rural Health Mission in 2005 by the Government of India, it is still a very long way to get near the MDG goals in just another 8 years.

Let us first examine the issue of infrastructure of health services in Bihar (see table below).

Health Infra Structure Bihar		
Health facility	Current status	Desired
District Hospital	23	38
Subdivision Hospital	23	100
Referral Hospital	70	800 (On every 1 lakh population)
PHC	398 (On every 2 lakh pop)	2700 (On every 30000 population)
HSC	9140 (On every 9000 pop)	16000 (On every 5000 pop)
Source - State PIP, RCH – II, 2005-06 to 2009-10, Department of Health & Family Welfare, Government of Bihar		

With a deficient infrastructure of this magnitude, can any of the mother and child related indicators along with disease related indicators be achieved in Bihar in just 8 years? If you add the acute shortage of doctors, ANMs, angan waari workers and other frontline health workers to the deficient infrastructure, one can safely predict that MDG in Bihar is destined to doom. Only around 3500 medical officers are working against about 6000 sanctioned posts. Half of MHW (49 %) posts, more than 40% of LHW posts, 35 % of Staff nurses posts and 11% of ANM posts are vacant in

Bihar. Near absence of the enabling factors, which could have contributed in achieving the MDG goals makes the whole health scenario in Bihar very grim.

What is more worrying that the successive governments in Bihar do not have even the political will to bring any improvement in the health status of Bihar. The neglect of the health sector is amply reflected in the annual budgetary allocations made for the health sector, both under the plan and non-plan heads. Even a cursory reading of the annual allocations made shows that the successive governments have been stingy in opening the state's coffers for the health sector of the state. The net result of such a stance of the government is that the health sector has not only stagnated but has also remained crippled. (See figure below, Source: Budget tracking by CHARM, 2007).

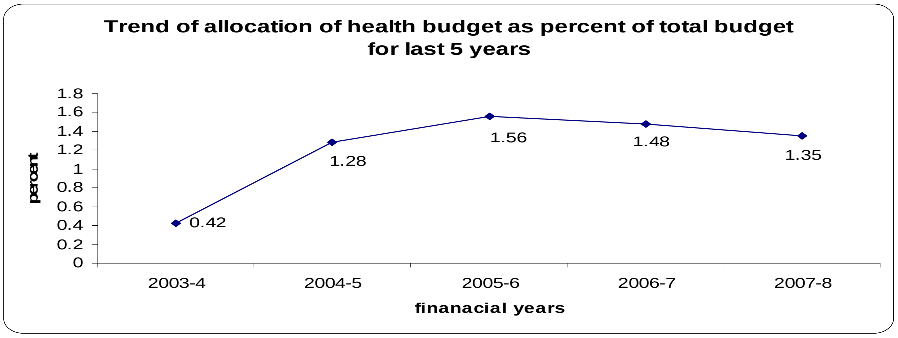

The meager outlay of the health budget is a reflection of the mindset of the present NDA government. The government is shrinking from its responsibilities to provide comprehensive health care to all irrespective of their capacity to pay. The government is slowly but surely privatizing the state health delivery system as is reflected in outsourcing Additional Primary Health Centers, Pathological and radiological facilities, Sanitation facilities, Ambulance services etc. The government has already initiated the process of privatization of urban health delivery system. The trend is validated when seen as ratio of expenditure on medical and public health and family welfare to aggregate disbursement (see figure below).

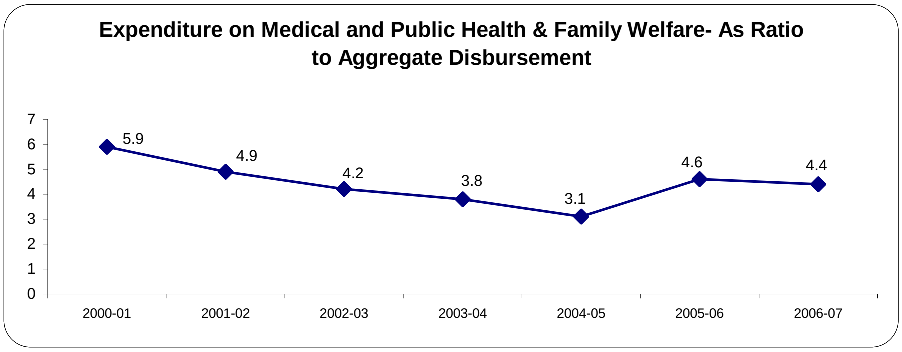

Source-NFHS 3, Fact sheet, Bihar, Provisional data

Looking at the comparative health indices of Bihar and India one finds that the state is lagging behind in almost all health indices with the sole exception of Infant mortality Rate. The reason for better IMR is attributed to very low registration of deaths of children in Bihar. What is more worrying is that three-fourth of the children dying in their first year of life are neonates (under four weeks), and NMR is static for last one decade (see table below).

Selected Health Indices-Bihar & India		
Health Indices	Bihar	India
Complete Immunization	33	54
Institutionalized delivery	22	34
Complete ANC	17	32
Maternal Mortality rate	452	407
Infant Mortality rate	62	66
Neonatal Mortality rate	46.5	45
Source - State PIP, RCH – II, 2005-06 to 2009-10, Department of Health & Family Welfare, Government of Bihar and NFHS-3		

Malnutrition and diarrhoeal disease among children, anaemia among pregnant women and women of reproductive age, have a direct bearing on child mortality and maternal health. But the trend has gone from bad to worse in Bihar (see table below).

Key Indicators for Bihar having bearing on Millennium Development Goal a comparative study NFHS-2 (1998-99) & NFHS-3 (2005-06)			
#		NFHS-3	NFHS-2
1	Mothers who had at least 3 ANC for the last birth (%)	16.9	15.9
2	Births assisted by the a doctor/nurse/LHV/ANM/other health personnel (%)	30.9	24.8
3	Institutional Births (%)	22	14.8
4	Children 12-23 months fully immunized (%)	32.8	11.6
5	Children 12-23 months who have received Measles Vaccine (%)	40.4	16.2
6	Children with diarrohea in the last 2 weeks taken to a health facility (%)	48.7	58.9
7	Children with Acute Respiratory Infection or fever in the last 2 weeks taken to a health facility (%)	54.6	NA
8	Children under 3 years who are under weight (%)	58.4	54.3
9	Children under 3 years who are wasted (%)	27.7	19.9
10	Women whose Body Mass Index is below normal (%)	43	39.1
11	Children age 6-35 months who are anaemic (%)	87.6	81.1
12	Ever married women age 15-49 who are anaemic (%)	68.3	60.4
13	Pregnant women age 15-49 who is anaemic (%)	60.2	46.4
14	Family Planning (Any method %)	34.1	23.5
15	Family Planning (Condom %)	2.3	0.6
16	Women who have heard of AIDS (%)	35.2	10.5
17	Men who have heard of AIDS (%)	70	NA
14	Total Fertility Rate	4	3.7
Source-NFHS 3, Fact sheet, Bihar, Provisional data			

The NFHS-3 data shows that malnutrition and anaemia among children along with anaemia among pregnant and ever married women has increased during the last 7 years.

According to Bihar State Aids Control Society there are 11000 AIDS patients in Bihar. There are only two Anti Retroviral Treatment Centres in Patna viz. Medical college Hospital, Patna and Sri Krishna Memmorial hospital, Muzaffarpur. The supply of medicines to ART centres is erratic. Bihar has 64 VCTC centres and the facility of testing CD4 count is available only in two medical colleges namely, PMCH and SKMCH. Nazareth hospital, Mokameh has a C.C. Centre with 15 beds.

Extremely low prevalence of condom use, low knowledge of AIDS among women and migration of about 6 million people from Bihar makes the state very vulnerable to HIV/AIDS epidemic.

Many DOTs centres for detection and treatment of Tuberculosis are yet to be operational in Bihar. Large number of vacancies for lab technicians to do the microscopy test of sputum for AFB is still lying vacant. It has adversely affected the National Revised Tuberculosis Control Program n Bihar.

NRHM STATUS IN BIHAR :-

NRHM has been implemented in the region with effect from 14th July 2005. To know the facts of its implementation a study was conducted in 17th districts of the state. During the study 14 district level officers, 43 PRIs, 34 Aganbadi Sewika, 16 ANM and 16 Asha were involved. Besides it 32 women were included who were already undergone family planning operation, and 32 other women who were delivered the birth were included in the study.

The following facts came to the light during the survey-

1. 50 percent Aaganwadi Sewika expressed unawareness about the NRHM, Those listen the name of NRHM in which 50 percent women were unaware of its concept and work.
2. Two third PRIs and ANM told that they have listen about NRHM but they are unknown to its activities. They know only that NRHM is only meant for immunization and conducting delivery of the birth.

3. Districts health society have been established in all the districts.
4. District Action plan was to be prepared in one third of the district but wherever district plan was made that was beased on PIP.

ASHA SCHEME :-

1. One third of the district level officer ascertained that proper training has not been given to Asha.
2. The selection of Asha has not been completed in one third of the districts.
3. About 50 percent CS has told that selection of Asha has been done by the chief medical officer, medical officer and Gram Panchayat Pramukh.
4. One fourth PRIs are unaware about the work and responsibility of Asha.
5. Most of ANM and Aaganwadi Sewika told that they do not know the duties of Asha. They understand that the work of Asha is only to assist in immunization and to collect and supply information to their respective PHC. Not only, even Asha is itself unaware about their duties and responsibility.

Observation – .

- ❖ Village health committee has not yet been constituted.
- ❖ The most health worker working the rural area are unaware about NRHM
- ❖ Very few women get benefits from motherhood security plan
- ❖ No regular salary/ wage payment is done to the health workers working the rural areas
- ❖ The availability of health workers in Bihar is inadequate
- ❖ Lack of awareness about NRHM among the community.
- ❖ As a whole the health situation and infrastructure is inadequate and unsatisfactory

Suggestions:-

To explore and strengthen the health infrastructure in the public interest, the folloing suggestion can be implemented

- ❖ Can be ensured regular salary/wage payment to the health worker working in rural areas and they may be awarded ex-gratia to encourage them.
- ❖ Can be ensured participation of NGOs / VOs in awareness program of NRHM
- ❖ Can be constituted vigilance committee involving the NGOs/Vos
- ❖ Immediate action can be ensured on receiving any complaint.
- ❖ Discontinue the practices to treat the NGOs as contractor/PIP.

If MDG is to be achieved globally, India will have to achieve MDG by 20015. With Bihar faring so poorly on goal and target indices can India achieve the MDG?

By Dr. Shakeel, Executive Director (CHARM)
Working with NGOs on health issues
&
<u>Anil Kumar Stivastava, President</u>
<u>Global Foundation for Social Welfare & Educational Development (GFSWED)</u>

बाल मजदूरी, गरीबी और भूख : एक दृष्टिकोण

सीमा को घरेलू बाल मजदूरी से 1995 में पटना के बोरिंग रोड के एक घर से मुक्त कराया गया था। उसकी मॉ कार्यालयों में साफ–सफाई का काम करती थी। प्रतिमाह 800 रूपया (न्यूनतम मजदूरी से भी कम) मात्र वेतन वह पाती थी। मात्र आठ सौ रूपये में चार बच्चों समेत स्वयं के लिए भोजन की व्यवस्था, मकान भाड़ा, बिमारी एवं अन्य खर्च निपटाना असम्भव सा ही कार्य था। एक दिन मजबूरन उसने अपनी बच्ची सीमा को एक घर में काम पर लगा दिया। उसने सोंचा कम से कम भोजन और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो सीमा की हो जायेगी। अमुमन बाल मजदुर की इसी से मिलती जुलती कहानी है। भोजन और पढ़ाई पहली आवश्यक्ता है जो गरीब को अपने बच्चे से बाल मजदूरी कराने के लिए विवस करता है ।

कहा जाता है बच्चे राष्ट्र के भविष्य है। लेकिन इस वाक्य को कहते समय शायद यह हम भूल जाते हैं कि इन बच्चों का वर्तमान भी होता है। भूख से बिलबिलाते, गरीबी की मार झेलते और बाल दासता के जंजीरों से जकड़ा बचपन किसी राष्ट्र के भविष्य कैसे हो सकते है? जब बचपन ही खाने को तरस रहा हो, भोजन के एवज में खुद को गीरवी रख रहा हो, इससे अधिक गरीबी की कल्पना क्या हो सकती। देश के भविष्य की इज्जत और आबरू प्रत्येक गली और चौराहे पर तार–तार हो रही हो इससे अधिक शर्मशार करने वाली बात किसी देश के लिए क्या हो सकती है? बाल मजदूरी, गरीबी और भूख की समस्या इतनी विकराल और जटील हो गई है कि तमाम प्रयासों, कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद हल नजर आता नहीं दिख रहा है। बिहारी बाल मजदूरों की संख्या में प्रतिवर्ष इजाफा हो रहा है। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। यह विसंगतियॉ मानवीय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए काफी है।

भूख, गरीबी और बाल मजदूरी के बीच का रिश्ता समझने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ तथ्यों पर गौर करें। बिहार की लगभग आधी से अधिक अबादी गरीबी रेखा के नीचे है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2,197 है। 1987–88 तक बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन वसर करने वालों की संख्या 52.13 प्रतिशत थी जो आश्चर्यजनक ढ़ंग से 1993–94 में बढ़कर 54.96 प्रतिशत हो गई। पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बाल मजदुरों की बात की जाये। पिछले साल केवल दिल्ली से 800 से अधिक बाल मजदुरों को बचपन बचाओ आन्दोलन ने मुक्त कराया था उनमें से 90 प्रतिशत बच्चे बिहारी थे। इन मुक्त बिहारी बच्चों में से आधे से अधिक बाढ़ प्रभावित जिला सीतामढ़ी के थे। मुक्त बिहारी बच्चों में 90 प्रतिशत बाढ़ग्रस्त उन जिलों से थे जहॉ तकरीबन 4 से 6 माह तक रोजगार का कोई साधन नहीं होता। एक वक्त के भोजन के लिए भी सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। राज्य में सर्वाधिक बाल मजदुर इन्ही जिलों से बिहार के अन्य शहरों या अन्य राज्यों में जाते है। गरीबी ही वह प्रमुख कारण है, जिसके चलते बड़ी असानी से इन क्षेत्रों के लोग दलालों के चंगुल में फस कर अपने बच्चों को उनके हवाले कर देते हैं। उपरोक्त तथ्य से यह स्थापित हो जाता है कि बाल मजदुरी के लिए गरीबी एक प्रमुख कारण है। लेकिन मेरा मकसद गरीबी को बाल मजदुरी के रूप में स्थापित करना नहीं है। भूख को बाल मजदूरी के लिए जिम्मेवार बनाना नहीं है। यह बात तो सभी जानते है। सभी के द्वारा कहा जाता रहा है। आम आदमी से लेकर, नियोक्ता और समाज शास्त्री भी इसे कहते है। सभी का मानना है कि गरीबी पर अंकुश लगाये वगैर बाल मजदूरी को खत्म नहीं किया जा सकता है। कुछ देर के लिए मैं भी इसे स्वीकार करता हूॅ। लेकिन यहॉ मैं यह स्थापित करने का प्रयास करना चाहूॅगा कि जब तक बाल मजदुरी को खत्म नहीं किया जायेगा तब तक गरीबी पर काबु करना असम्भव सा कार्य है। बाल मजदूरी के खत्म होते ही जादू सा असर होगा और गरीबों की संख्या में आश्चर्यजनक ढंग से कमी आ सकती है। और जब गरीबी नहीं होगी तो बाल मजदुरी भी नही के बराबर रहेगी। सुनने और पढ़ने में यह बात अवश्य पागल के प्रलाप की तरह लगेगा।

बचपन बचाओ आन्दोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी जी के अनुसार हमारे देश में तकरीबन 6 करोड़ बाल मजदुर हैं और लगभग साढ़े छह करोड़ बेरोजगार हैं। अगर सरकार के द्वारा सृजित कार्यों को छोड़ भी दिया जाये तब भी हमारे देश में कम से कम 6 करोड़ लोगों के लिए निश्चित तौर पर काम उपलब्ध है। आम तौर पर एक बाल मजदूर 12 से 18 घंटे तक काम करता है। यानी दो व्यस्क मजदुर का काम एक बाल मजदूर कर लेता है। अगर इस तथ्य को स्वीकार लिया जाये तो हमारे देश में आज 12 करोड़ लोगों के लिए काम उपलब्ध है और हमारे देश में बेरोजगारो की संख्या मात्र 7 करोड़ है। अर्थशास्त्र के मांग और आपूर्ति के सिधान्त को को यहॉ लागु किया जाये तो हमारे पास मजदूर कम होगें और मांग अधिक

होगी। निश्चित तौर पर मजदूरी बढ़ेगी। अब हम आय पर गौर करें। एक बच्चा आम तौर 10 से 15 रूपया प्रतिदिन पाता है। 30 दिन काम करने पर वह 300 से 450 रूपया कमा लेता है। यहॉ औसतन 500 रूपये प्रति माह मान लिया जाये । साल भर में बच्चे की कुल आय 6 हजार रूपया होगी। एक बच्चा 5 साल के उम्र से काम करना प्रारम्भ करता है। उसे 15 साल की उम्र तक निश्चित तौर पर काम मिल जाता है। 15 साल के बाद उसकी आवश्यक्ता बढ़ जाती है और वह ज्यादा मजदूरी की मांग करने लगता है। बाजार में असानी से सस्ते बाल श्रमिक उपलब्ध रहने के कारण उसे काम से हटा दिया जाता है। यानी वह 10 साल काम करता है। 10 साल में हाड़तोड़ मिहनत के बदौलत वह कुल 60000 रूपया कमा लेता है और बोनस के रूप में अपना बचपन, अपना भविष्य और स्वास्थ्य गवॉ चुका होता है। बेरोजगारी तोहफा के तौर पर उसे मिल जाती है। एक बच्चे की कमाई 10 साल में 60 हजार रूपया होता है। अब उसी बच्चे के घर के किसी व्यस्क को वही काम मिलता तो उसकी 10 साल कमाई क्या होती? व्यस्क की अमुमन मजदुरी 80 रूपया है। यानी महीने का कमाई 1800 रूपया होगा और एक साल में वह 21600 रूपया कमा लेगा। और 10 साल में उसकी कमाई होगी 216000 रूपया। यानी की उस बाल मजदुर के परिवार में 10 साल में एक लाख छप्पन हजार रूपये की अतिरिक्त आय। अगर देश के सभी बाल मजदुर को काम से हटा लिया जाये तो साढ़े छह करोड़ बेरोजगार अपने परिवार के आय में, देश के आय में 10 खरब 14 अरब रूपये की अतिरिक्त आय को जोड़ेगे। यह आकलन आज की स्थिति को ध्यान में रख कर किया गया है लेकिन अगर मांग बढ़ने और मजदुर की आपूर्ति कम रहने से मजदूरी निश्चित तौर पर बढ़ेगी तब उस बाल श्रमिक के घर अतिरिक्त आय का गणना आप स्वयं कर लें । देश और परिवार के लगभग 10.14 खरब रूपये के नुकसान कर कुछ एक स्वार्थी, मानवता विरोधी, समाज विरोधी, विकास विरोधी लोगों की स्वार्थसिद्धी के लिए अपने समाज और देश के सर पर बदनुमा दाग लगा कर गौरवान्वित हो रहे हैं। किसी बच्चे के हक को भी भीख के रूप में देकर गौरवान्वित हो रहे हैं। तब भीख में शिक्षा देने की बात भी सरकार को नहीं करनी होगी। तब किसी को दया दिखाने की जरूरत होगी और ना ही बच्चों के नाम पर देश के उपर कर्ज का बोझ ही बढेगा जिसका प्रभाव सीधे तौर पर इसी देश के लोगों पर पड़ता है।

अब आयें ! हम 1989 में हुए बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को भी अस्वीकार कर दें। बाल श्रम से जुड़े तमाम संवैधानिक निर्देशों एवं प्रावधानों को भी हम दरकिनार कर दें। सिर्फ बाल श्रम की समाप्ति के बने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को ही लागू करने की सोंचे तो देश के आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में क्या फर्क पड़ सकता है, इस पर गौर करें। हमारे देश के मौजुदा बाल श्रमिकों का 70 प्रतिशत कृषि कार्यो में लगा है। जिसमें कानूनन बच्चे से काम कराने के लिए प्रतिषेध नहीं किया गया है। लगभग 20 प्रतिशत बच्चे अन्य गैर खतरनाक कार्यो में लगे हैं। वर्तमान कानून सिर्फ 10 प्रतिशत वैसे बाल श्रमिकों को काम से हटाने की बात करता है, जिसकों लागू करने में विफल रहे हैं। हाय तौबा मचा रहे हैं कि बच्चे काम नहीं करेगे तो खायेंगे क्या? गरीबों के खिलाफ यह कानून एक षडयंत्र है, आदि—आदि। क्या समाज के शोषक तबका के द्वारा मचाये जा रहे इस हाय — तौबा की सच्चाई को जानने का कभी प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। घड़ियाली आसुॅओं के पीछे छीपी नीयत को जानने का प्रयास हम नहीं करेंगे। अगर उनके दर्द वास्तव में सच्चे हैं तो हृदय पर हाथ रख कर बतायें की क्या वे बच्चों को खिला रहें हैं या बच्चों की कमाई खा रहे हैं। बाल श्रम से बच्चों को मत हटाओ, लेकिल बाल श्रम अधिनियम कें विनियमन प्रावधानों को तो स्वीकार करें। अगर उन्हे न्यूनतम मजदूरी दिया जाये, उनसे किसी भी हालत में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाये, उन्हे काम के बीच 1 घन्टे का विश्राम दिया जाये और कम से कम दो घंटे तक नियोक्ता के लागत पर पढ़ने की व्यवस्था की जाये तो किसी को गुरेज नहीं कि बच्चों से गैर खतरनाक कार्यों को नहीं कराया जाये। लेकिन हम तो बाल श्रमिकों के शोषण की इस व्यवस्था को बनाये रखने में ही अपनी भलाई देखते हैं। व्यस्क को बेरोजगार बना कर गरीबी को बनाये रखना चाहते हैं। भूख—भूख और गरीबी—गरीबी की शंखध्वनी पर राष्ट्र के भविष्य बचपन के वर्तमान की आहुती दे रहे हैं। आप स्वयं यह आकलन कर लें कि बाल मजदूरी कराने से गरीबी कम होगी या कानूनसम्मत कारवाईयों के द्वारा बाल मजदूरी प्रथा के खात्मे से गरीबी पर विजय पायी जा सकती है?

अजय कुमार सिंह
प्रदेश सचिव, बचपन बचाओ आन्दोलन,

Revival of Embankments on The Bagmati

Bagmati is an important River of Bihar, which descends down the Himalayas and enters India near Dheng Railway Station in the Sitamarhi district of Bihar. The capital of Nepal, Kathmandu, is located on its bank and its basin is rated among the most fertile regions of the world, which is mainly attributed to the silt that the river brings along with its flows. This silt, which makes the land highly fertile, also causes the meandering of the river in the Indian plains that results in seasonal hardship to the people living in its basin. The river joins the Kosi near Badla Ghat in Khagaria district of Bihar. It has a total catchment area of 13,279 sq. km. Of which 6,246 is located in India and the rest lies in Nepal. The ground slope through which the river passes in the Indian portion is almost flat and ranges from 0.87 meters per kilometer near Indo-Nepal border and in lower reaches, it gets flattened to about 0.s07 meters per kilometer.

The river has got three distinct reaches in the Indian territory.

Government of Bihar GoB has sent a proposal to central government for embanking the middle reaches of the Bagmati at an estimated cost of Rs. 792 Crores (November 2006) with a hope that once this embankment is constructed, most of the flood problems of the basin would be solved. Something similar was said in 1953-54 when the lower 90 kilometer reach of the river was proposed to be embanked. This work was completed in 1956, however. The river has meandering tendency but the lower reaches were said to be relatively stable hence these were embanked. The upper reaches of the river were left unattended then on the plea that it was not wise to embank the unstable portion of the river. When this conclusion was drawn, one of the most unstable river of the country, the Kosi, was being embanked in the eastern neighborhood and the people of that basin were rejoicing the festivity of embanking of that river. On the west of the Bagmati, an ambitious irrigation project on the Gandak was being launched. This was the home ground of India's first president Dr Rajendra Prasad. Sandwiched between execution of the Kosi Project on the east and the Gandak Project on the west, the leaders of the Bagmati basin had nothing to boast of and being branded inactive they were under compulsion to demand a project (embankments) on the Bagmati. The farmers of the basin, however, were opposed to any such move as embanking of the river would result in loss of fertility of the soil as it would not get the enriching silt once the river was embanked. These farmers claim that the amount of sweet potato that they could grow over an acre of land was enough to finance purchase of an elephant and that Bagmati floods never had lasted for more than two and a half days at a stretch. The Bagmati was their lifeline and that was the reason why the people proposed to the Government that if any money was to be spent on the embanking of the river, the same would find a better use in the National Defence Fund to counter the Chinese aggression.

But such protests in the favor of leaving the river to its own devices fell on the deaf years and serious efforts were started in 1965 to tame the river. It was proposed to embank the river in the upper reaches at an estimated cost of Rs. 3.17 Crores then. These estimates were subsequently revised in 1969,1973,1974,1976, 1980,and 1981 at Rs. 6.54 Crores, Rs. 22.55 Crores, Rs. 26.72 Crores, Rs. 36.20 Crores, Rs. 51.88 Crores and Rs. 60.48 Crores respectively. Amidst various revisions and resistance from the local people, these embankments were constructed during the emergency (1975-78) from Dheng near the Indo-Nepal border to Runni Saidpur.This included the garland embankments around Bairgania Block of the Sitamarhi district that is located between the doab of Lal Bageya and the Bagmati River. Thus, the reach between Runni Saidpur and Hayaghat is still open and faces the onslaughts of the Bagmati floodwaters with significant contribution of the breaches in the embankment in upper reaches. In case the embankments from Dheng to Runni Saidpur remain safe (this is a very rare proposition)the floodwaters enter the blocks of Aurai, Katra and Gay Ghat like a jet and causes immense damage to property and life. In case of the breaches in the embankments upstream, the situation turns chaotic as no one knows which side the floodwater and the accompanying silt would enter from.

It is this middle portion of the river that the embankments are now being proposed at a cost of Rs. 792 Crores along with strengthening and raising of the existing embankments. This proposal raises many questions that should be answered before the work on the embankment starts. Firstly, it was argued all the times that the stream between the

middle reach is unstable and is unfit for embanking. Hs the stream become stable and fit for embanking in the past 30 years? S far as our information goes, fixation of a river stream is a hydro-geological process and it takes thousands of years to get a river stabilized.

Secondly, will the raising/strengthening of the existing and constructing newer embankments anyway help checking the quantity of sediments coming into the stream. Will it prevent deposition of silt within the embankments and the subsequent raising of the river bed or seepage through the body of the embankments? The actual problem of the area is not the floodwater but the sediments that accompany the floodwaters and the embankments have no role in routing the silt. Thirdly, the raised / strengthened embankments would be more effective in preventing the rainwater from entering the river thereby worsening the water logging conditions on the countryside of the embankments. Such conditions already exist in the lower and upper reaches of the Bagmati where embankments already exist. It will be of interest to know how the water resources department of Bihar proposes to solve this problem.

Fourthly, when a free flowing river encroaches its embankments during the rainy season, only the top layer water of the river, rich in micro-nutrients, spills into the country countryside. Breaches in the embanked river cause spreading of coarse sand in the countryside as the bottom layer river water is also led to the countryside rendering the area into a desert. Nobody takes the responsibility of such desertification and subsequent loss of livelihood of the farmers. Can raising / strengthening of the embankments reverse these conditions and can the WRD give an assurance that the embankments would not breach?

Lastly, the WRD of GoB by far has maintained that the final solution to the flood problem of the basin lay in construction of a dam at Nunthar on the River in Nepal and it had been postponing any intervention on the river in that hope. Is the WRD of GoB finally disillusioned with the construction of that dam? An expert committee report of the GoB (May 2006) clearly suggests that neither there is any likelihood of the construction of the dam at Nunthar nor is it likely to hold any flood, if ever constructed. The expert committee has expressed similar doubts about the proposed dam at Chisapani on the Kamla and the Kosi High Dam at Barahkshetra in Nepal. That being so, aren't the promises made to the people of Bihar fake that once these dams are constructed, all their flood problems would be solved?

Further, will the Government compensate the farmers whose land would get waterlogged or sand cast because of the construction of these embankments? The proposed embankments would involuntarily displace many families and the WRD has not disclosed any plans to rehabilitate such families and look after their well being. As per the information there was no provision of any rehabilitation or compensation of the families displaced due to the construction of the Bagmati embankments in lower reaches (1955) and only those farmers whose land fell in the embankment alignment were paid the cost of that land. Situation improved a bit while second phase embankments were put up in the upper reaches (1975) when the farmers were also given shifting allowances ranging from Rs 750/- to Rs 200/- per family depending on whether the house was pucca or kachcha. Most of this money was spent in getting the claims. Those displaced were also given a block of land for habitation but the plot boundaries were not marked in most cases resulting in a major chunk of the rehabilitation land falling into the hands of the local toughs and a vast majority of displaced persons were left in lurch. No grant was given for constructing new house nor any land was allotted to those whose agricultural land was trapped within the embankments. Many of the displaced families are thus, living on the embankments.

It is suggested by the Government that the people likely to be trapped within the embankments would be given money to purchase land in the country side of the embankment and the Government would not acquire any land for them. The Government will give them house building grants depending up on the existing houses that the evacuees possessed. The process is yet to start and the displaced persons are expected to cultivate the fields that would fall within the embankments. There is no provision for land for land in the rehabilitation package.

According to a notification of the Ministry of Environment and Forests (14th September 2006) GoI, any project that is likely to affect environment adversely must get a clearance of the Ministry before any construction activity starts. This notification ensures that people likely to affected by the project are given prior information about

the possible impacts of a project and that their concerns and suggestions are recorded through public hearings and their compliance ensured. No such move has started in the concerned region.

The proposed amount to be spent is a big sum and should not be wasted on projects with uncertain results. The last Government in Bihar had not taken up any work on flood control except maintaining (?) the embankments, sometimes, on the plea of ideology and most of the times blaming the center for resource crunch. The Governments at the center and the state has changed but equations between them remain the same. If the GoB is proposing embankments now, points to a major shift in the official policy towards taming the rivers. This shift should be for the common good of the people with their active participation so that it does not harm any section of the society.

Dinesh Kumar Mishra

D-29, Vasundhara Estate, NH-33 PO MGMC, Jamshedpur 831018.

Phone 0657-6574059, Mob: +919431303360

E-mail: mishradk@sify.com,

June 2007

VOICES AGAINST POVERTY

UNMC - MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS

By 2015 it is possible to ……………….

1. **Eradicate extreme poverty and hunger**
2. **Ensure that all boys and girls complete primary school**
3. **Promote gender equality and empower women**
4. **Reduce by two thirds the mortality rate among children under five**
5. **Reduce by three quarters the ratio of women dying in childbirth**
6. **Halt and begin to reverse the spread o HIV/AIDS and incidence of malaria and other major diseases**
7. **Ensure environmental sustainability**
8. **Develop a global partnership for development**

………… only if governments are held accountable for their promises.

We are the first generation that

can eradicate poverty and we
refuse to miss this opportunity

Bihar's Health Infrastructure and Disease Profile

Since independence, health services, has grown in many ways in Bihar. But inspire of the growth, improvement in health status has not been commensurate with the expansion of health services structure and function.The demographic picture of the state still constitute a cause for concern.

Sl. No.	Health Indicator	India	Bihar
1.	IMR	56/1000	61/1000
2.	Crude Birth Rate	23.8	30.4
3.	Total Fertility Rate	2.9	2.3
4.	Sex Raito	933/1000	919/1000
5.	Child Mortality Rate	19.5	19.2
6.	Crude Death Rate	7.6	8.1
7.	Maternal Morality Rate	301	371

Efforts at raising the nutritional levels of people have still to bear fruit, the extent and severity of malnutrition continues to be high. Only 30% of the rural population has access to potable water supply and 0.5% enjoys basic sanitation. High incidence of diarrhoeal diseases still dominates the Rural Health Picture. Lack of safe drinking water supply, poor sanitation, poverty and ignorance are the root causes of many communicable diseases.

Over the years, a vast and wide network of health infrastructures like medical colleges, district hospitals, primary health centers, Referral Hospitals, Additional Primary Health Centers and Health subentries has been established. This network is being supported by higher medical centers like, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences and Indira Gandhi Institute of Cardiology, Patna.

NO. OF MEDICAL INSTITUTIONS IN BIHAR	
Medical college	6
Sub –divisional Hospital	25
District Hospital	25
Community Health Centres	101
Primary Health Centres	394
Additional Primary Health Centre	1247
Health Sub Centre	10332
Tuberculosis Demonstration Centre	2
Infectious Diseass Hospital	2
Blood Bank (Govt.)	23
Leprosy Control Centre	47
Modified Leprosy Centre Unit	11
Leprosy Training Centre	2
Eye Bank	1
Public Health Institute	1
Drug Analysis Lab	1
No. of Filaria Centres Unit	28
No. of Filaria clinc	31

Here is shocking short fall of speicialists in health care institutions at present pediatricians 68 percent, physicians 64 percent gynecologists, 7 percent ophthalmologists, 75% Similarly there is a huge shortfall of Para Medical staff in Govt. Hospitals.

Status of Infrastructures: But with a life-style of nearly 58 years, the health infrastructures, particularly the rural health infrastructures have began to decay and are outdated. Not only their number as per national norms are less, but they are ill-equipped regarding equipments and drugs. Many PHCS, CHCS, district hospitals roofs are leaking, they are crumbling and at many places plants have grown. The basic facilities like accommodation for medical people, electricity and safe water supply in the hospital campus in absent.Most of the basic equipments like X-ray, are non-functional. Hardly there is any provision for vehicles to transport patients form far flung villages.

The operation theatres, laboratories have become rudimentary.There has been growth of medicare in the private sector but it is lopsided. A very few districts like Patna, E. Champaran, Saran, Muzaffarpur have necessary infrastructures. But most of them do not have necessary infrastructures for ailing masses.

In a recent survey conducted by INDIA TODAY in 2005, Bihar has ranked last among big states, regarding primary health infrastructures.The total health infrastructure need re-structuring and reorganization both in Govt. and private sector.Why in Patna, there are cardiac, Eye-Centres, why not in other districts? The advancements of modern medicare should be evenly distributed. The health manpower, which is very acutely short in Govt. as well in private sector needs to be filled up both in regards to quality and quantity.

The doctors to population ratio is grossly inadequate. The specialist services are under utilized. Similarly the bed strength in grossly inadequate. Whatever may be the bed strength the bed occupancy rate in Govt. Sector is average, where as in the private hospitals bed occupancy is very high.

But with implementation of national Rural Health Mission, health infrastructures should get the much needed support. It is heartening to note that PHC have been provided a modern management information systems, with supply of computers. On a daily basis the monitoring of Peripheral Health Services is being regulated. For mobility of patients hired Ambulances have been provided, but are they really working ? Funds have been provided for renovation and construction of buildings.

The districts hospitals have been promised to be converted into State of Art hospital, with ICU & Latest Equipments, but again when it will happen?

The NRHM objectives should be implemented in a phased manner, because it is our last hope for a better medicare for the people of Bihar.

DISEASE PROFILE IN BIHAR

1. Tuberculosis is the major public Health problem in Bihar. It being Ranked first in the list of diseases. In fact it is a state medical Emergency. All districts should be covered in RNTCP programme immediately.
2. Gastroenteritis is the second ranked, Public Health Problem, Strong inter departmental, co-ordination, between Health, Education and Public Health Engineering departments should manage this problem. Safe water supply in rural areas should be planned. Moreover it has been observed that use of ORS, among rural people is below 32% Rural people should be educated regarding use of ORS.
3. Malaria is the Third largest group of diseases in the state. DDT spray, and mass fogging methods should be urgently used in the malarial Zone.Promotion of Larvivorous fish, environmental Engineering and personal protection by use of nets should be advocated.
4. Acute Respiratory infection is the fourth largest-group of diseases in the state. PHC/Referral Hospital should be provided with emergency management Drugs, along with continuous supply of Oxygen cylinder. Newer generation of Antibiotics should be supplied to the Govt. institutions.
5. Kala Azar is the fifth largest group in the disease profile. It is strongly suggested that Milefosine tablet should be supplied at the village level. Moreover rapid Diagnostic Kit RK 39 should be supplied at village level, which will be helpful in diagnosis of Kala Azar at village level only.

OTHER HIGHLIGHTS

(A) Diabetes in on the rise-particularly in the rice Bowl District of Bihar, like Bhojpur, Kaimur, Rohtas

(B) Malnutrition is an important public health Issue, The iron deficiency Anemias, has been observed, particularly, in Sahara, Madhepura, Araria, region, Needs further study.

(C) Trauma Centers, urgently needed at Vaishali, Sitamarhi, Bhojpur District.

(D) 10-Bedded Eye Hospital Required in all District.

(E) Hepatitis A and B Immunization should be included in the national Immunization proramme.

Dr. Ratan
(sMBBS, MS, FICS, PGDHRM)
Human Resource Specialist
Secretary, Medicare, Patna

बिहार के दलित एवं एम०डी०जी० – एक मूल्यांकन

मानव और प्रकृति के लम्बे संघर्ष के बाद मानव समाज का विकास तो जरूर हुआ, अपितु वर्ग भेद – वर्णभेद ने मानव को मानव से अलग करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ा । अध्यात्म और भौतिक विचारधाराओं में काफी टकराव है, फलतः मानवता दिनोंदिन खतरे में पड़ती जा रही है। सच तो यह है, कि जहाँ मानवता खतरे में होगी वहां असंख्य समस्याओं का जन्म होगा। आज समाज एवं राष्ट्र व्याप्त गरीबी, तबाही, अशिक्षा, अत्याचार, अन्याय, गैर–बराबरी एवं व्यभिचार आदि सामाजिक बुराईयां उसी का परिणाम है। '' आहार और विहार '' से परिपूर्ण बुद्ध, अशोक और चाणक्य की धरती अपना बिहार आज सबसे ज्यादा गरीबी, अशिक्षा और भुखमरी का शिकार है। हांलांकि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में विकसात्मक पहल प्रारंभ की है तथा कुछ अच्छे संकेत भी प्राप्त हुए हैं। फिर भी वर्षो का कोढ़ इतनी जल्दी नहीं मिट सकेगा कभी सामाजिक– आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं बौद्धिक समृद्धि सहित उर्वर भूमि के धनी कहलाने वाला बिहार आज सबसे पीछे है। यदि दलितों और वंचित वर्गों की बात करते हैं। तो अन्य राज्यों से बिहार के दलितो की स्थिति भी बदतर ही है।

बिहार की आबादी 8.30 करोड़ मे से 1.30 करोड़ से भी अधिक आबादी दलितों की है जो लगभग 15.70 प्रतिशत है अर्थात राज्य के प्रत्येक छः व्यक्तियों में एक दलित है। देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की दलित जनसंख्या की तुलना में बिहार का तीसरा सर्वाधिक स्थान है। अतःएव बिहार के दलितों का उन्नति का माप–दण्ड ही सर्वोत्तम साबित होगा।

बिहार में दलितों की 23 जातियां है :– जिनमें छः जातियों की आबादी 93.2 प्रतिशत है यथा– चमार, दुसाध, मुसहर, पासी, धोबी और भुइंया। दलितों में महिलाओं की स्थिति और भी बदत्तर है। इस तथ्य की प्रामाणिकता विभिन्न आयु वर्ग की दलित आबादी में महिलाओं की संख्या के आधार पर सम्पुष्ट की जा सकती है क्योंकि जहां 0 – 6 वर्ष आयु वर्ग में अनुसुचित जाति के बच्चों का लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 963 लड़कियां है, वहीं समेकित रूप से देखने पर 1000 पुरूषों पर मात्र 923 स्त्रियां है।

शिक्षा एवं साक्षरता की दृष्टि से आंकलन करने पर बिहार में अनुसुचित जाति का साक्षरता दर मात्र 28.47 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर 54.7 प्रतिशत आकलित है। सर्वेक्षण के आकड़े बताते है कि मात्र 28.4 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक दलित बच्चें पहुंच पाते है। मिडिल स्तर पर मात्र 13.1 प्रतिशत, सेंकेण्डरी स्तर तक 15.1 प्रतिशत तथा स्नातक स्तर तक मात्र 3.6 प्रतिशत बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। यदि तकनीकी शिक्षा को आधार बनाकर दलितों को स्थिति की समीक्षा की जाए तो पाया गया कि दलितों में मात्र 0.1 प्रतिशत लोग को ही तकनीकी एवं गैर–तकनीकी डिप्लोमा आदि विषयों की शिक्षा प्राप्त होती है

बिहार में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर दलित बच्चों की स्थिति की समीक्षा की जाए तो पाया जाता है कि पाचवीं कक्षा तक के लिए नामांकित दलित बच्चों मे 44.02 प्रतिशत लड़के एवं 74.10 प्रतिशत लड़कियां पढ़ाई छोड़ देते है अर्थात पांचवी कक्षा तक 54.83 प्रतिशत दलित बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं। इसी प्रकार कक्षा 8 तक के लिए विद्यालयों में नामांकित दलित बच्चों में से 81.84 प्रतिशत दलित बच्चें पढ़ाई छोड़ देते हैं जिनमें 81.88 प्रतिशत लड़के एवं 81.76 प्रतिशत लड़कियां चिन्हित हैं। इसी प्रकार 10वीं कक्षा तक 90.61 प्रतिशत दलित बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं जिनमें 89.83 प्रतिशत लड़के एवं 92.10 प्रतिशत लड़कियां होती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय(वार्षिक रिपोर्ट) –2006–07

प्रति हजार मृत्यु दर– आई.एन.आर. की दृष्टि से दलितों की स्थिति की समीक्षा की जाए तो पाया गया की बिहार में मृत्यु दर (आई.एन.आर.) 76 है किंतु अनुसूचित जाति में यह संख्या 86 आंकी गई है। भूमि संसाधन पर स्वामित्व के आधार पर दलितों की स्थिति का आंकलन करने पर यह तथ्य उभर कर आते है– कि 23.80 प्रतिशत अनुसुचित जाति के लोग पूर्णतः भूमिहीन है तथा कानूनी दृष्टि से ऐसे परिवार न्यूनतम 4 डीसमिल आवसीय जमीन पाने के अधिकारी है। बिहार में 77.06 प्रतिशत कृषि मजदूर दलित समूह से है जो राष्ट्रीय स्तर पर (45.6 प्रतिशत) से काफी अधिक है । ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दलितों (93 प्रतिशत) में से लगभग 91 प्रतिशत लोग भूमिहीन (1 एकड़ से कम

जमीन) हैं। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का प्रतिशत 37.39 है जबकि बिहार में 55.88 प्रतिशत आंकी गई है।

अनुसुचित जाति में 41.53 प्रतिशत परिवार बिजली, पानी एवं शौचालय आदि से वंचित है। 65 प्रतिशत दलित परिवार बिजली की सुविधा से पूरी तरह वंचित है। दलितों की भूमिहीनता, गरीबी एवं बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच न होना यह दर्शाता है कि 2015 तक दलित आवादी की गरीबी एवं अशिक्षा दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की गति अत्यन्त ही धीमी एवं निराशाजनक है।

वर्तमान राज्य सरकार ने प्रयासों के कुछ अच्छे संकेत दिये हैं। मसलन, 2006 में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 70151 दलित शिक्षक नियुक्त किया जाना एक सराहनीय पहल है किंतु आंगनवाड़ी की सुविधाओं के लाभार्थी में दलित लाभार्थियों की अल्पसंख्या अभी भी चिन्तनीय है। किंतु राज्य बजट (2007–08) में अधिकांश कार्यक्रमों में या तो दलितों के लिए अलग से प्रावधान नहीं है अथवा उपलब्ध कराई गई राशि नगण्य है। अतएव यह आवश्यक कि विशेष पूरक योजना में अनुसुचित जाति के लिए सुरक्षित राशि को बढ़ाई जाए और प्रत्येक विभाग विशेष पूरक योजना हेतु स्वतंत्र रूप से बजट में प्रावधान करे ।

दलित पर हो रहे अत्याचार के शिकार बने पीड़ित लागों को अनुसुचित जाति अत्याचार नियंत्रण नियावली की कंडिका– 12 के अनुसार दी गई क्षतिपूर्ति का सामाजिक मूल्यांकन का प्रावधान किया जाए क्योंकि अधिकांश पीडितों को न तो मुआवजे की रशि मिलती है ओर न ही विधिक सुविधाएं ही प्राप्त होती है।

विशेष पूरक योजनओं की कार्यान्वयन के लिए तीन महत्वपूर्ण घटकों पर पहल जरूरी है।

1.केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रालय विशेष पूरक योजनाओं को जिला स्तर में सेक्टर स्तर तक टारगेट बनायें। जिला स्तर पर जिला कलक्टर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी लें।

2. विशेष पूरक योजना के लिए विशेष केन्द्र सहायता : समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ताकि विशेष पूरक योजना में किसी प्रकार की कमी आने पर इस अनुदान से उसे पूरा कर सके।

3. अनुसूचित जाति विकास निगम राज्य सरकार विभाग स्तर पर विशेष पूरक योजना के राज्य स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेन्सी की भूमिका निभाए ।

एक सर्वेक्षण के आंकड़ा अनुसार बिहार में प्रति घंटा 2 दलितो की हत्या, 3 दलितो पर जानलेवा हमला,2 दलित महिलाओं के साथ बालात्कार 7 दलित छात्र व छात्राओं के साथ स्कूल–कॉलेज में भेद– भाव एवं रास्ता रोकना, 2 दलित घरों में आग लगाने की धमकी देना, एवं 5 दलित महिलाओं के साथ छेड़कानी होती है। इसी प्रकार हर तीन दिन में एक दलित कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार, प्रत्येक 15 दिन में एक दलित प्रतिनिधि (विशेषकर महिला) के साथ भेद–भाव, भोज में शामिल होने पर प्रताड़ित करने, कहीं कहीं पर अच्छा कपड़ा जूता–चप्पल पहनने पर रोक लगाना आदि अनगिनत सामाजिक उत्पीड़न दलितों के साथ घटित हो रही है। स्पष्ट है कि बिहार के दलितों के साथ काफी भेद–भाव व नाइंसाफी हो रही है जिसे दूर करना सरकार, जन प्रतिनिधि, वुद्धिजीवि, मीडिया, दाता संस्थाएं एवं अधिकारी – कर्मचारी के साथ–साथ सामाजिक संगठनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

महेन्द्र कुमार रौशन
दलित समन्वयन, बिहार
एवं
कुमार अश्विनी
प्रतिक जन कल्याण सेवा संस्थान, पटना

भूख मुक्त बिहार के लिए पहल के तहत हम, बिहार के नागर समाज के प्रतिनिधिगण निम्नलिखित सुझावों पर कार्यान्वयन की मांग करते हैं :

- नकली बीज, खाद एवं पेस्टीसाइड की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगे एवं इनकी गुणवत्ता जांच हेतु जिले स्तर पर प्रयोगशाला हो।
- अन्नदाता किसानों की पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो।
- समान स्कूल शिक्षा प्रणाली अविलम्ब लागू हो।
- स्वास्थ्य की बुनियादी संरचनाओं में व्यापक सुधार किए जाएं
- प्रति चिकित्सक 6000 आबादी के हिसाब से 8000 अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति का वादा पूरा हो।
- सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में Out sourcing के प्रावधान को खत्म करे। स्वास्थ्य सेवाओं में निम्नलिखित जांच सेवाओं–पैथोलॉजी, एक्स–रे अल्ट्रासाउण्ड नियमित रूप से चलाने हेतु विभिन्न अस्पतालों को सुदृढ़ करें।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा को हतोत्साहित किए जाएं।
- नरेगा के अधीन 100 दिनों के कार्य को प्रति व्यस्क व्यक्ति के आधार पर दिया जाए।
- नरेगा में जॉब कार्ड पर रोजगार से वंचित लोगों को भत्ता का भुगतान कराया जाए।
- नरेगा के लिए सरकार अविलम्ब कर्मचारियों को भर्ती करे।
- सरकार पिछले एक वर्ष में, नरेगा की उपलब्धियों का सामाजिक अंकेक्षन करवाये।
- खाद्य–सुरक्षा के संदर्भ में सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अक्षरशः लागू करे।
- भूख से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को सरकार न्यूनतम 50 हजार रूपये का अनुदान दे।
- जन वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी तथा मध्यान्ह् भोजन के प्रवन्धन हेतु सामाजिक संगठनों/समूहों को भागीदार बनाएं।
- भूख से मृत्यु की परिभाषा तय करने के लिए सरकार एक मानदण्ड निर्धारित करे।
- भूख से होने वाली मौतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच आयोग बने।
- खाद्य/सामाजिक सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य बने।
- भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को 4 डिसमिल जमीन का आवंटन, पर्चा एवं कब्जा सुनिश्चित कराए।
- जीवन के न्यूनतम मानक निर्धारित कर भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम भूमि संसाधन पाने का हक मिले।

वादा ना तोड़ो अभियान, बिहार

विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान

ए/22, आर०डी० टॉवर, न्यू पुनाईचक, पटना–800023

दूरभाष – 0612–2281197, 09431419356

ईमेल– samajik_suraksha@yahoo.com ; pat_wnta@dataone.in

800 004, Mob. : 9334140543